


आवृत्ति मार्गरे लान

2005-2025



नगर नियोजन विभाग

राजस्थान, जयपुर



राजस्थान सरकार

मास्टर प्लान

आबूरोड़

(2005–2025)

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959

के अंतर्गत तैयार किया गया ।

नगर नियोजन विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

योजना – दल

1. श्री एन. के. खरे मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
2. श्री के. सी. मिश्रा अति. मुख्य नगर नियोजक,(मास्टर प्लान)
राजस्थान, जयपुर (31-5-09 तक)
3. श्री बी. आर. पी. भटनागर अति. मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान),
राजस्थान,जयपुर (30-6-07 तक)
4. श्रीमती इन्दिरा चौधरी अति. मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम),
राजस्थान, जयपुर
5. श्री सी. एस. पाराशर वरिष्ठ नगर नियोजक,जोधपुर जोन, जोधपुर
6. श्री आर. एल. टुकलिया वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
7. श्री अनिल माथुर उप नगर नियोजक,जोधपुर जोन, जोधपुर
8. श्री बी.डी. जाट उप नगर नियोजक, (मास्टर प्लान), राजस्थान,
जयपुर
9. श्री पी. आर. बेनीवाल उप नगर नियोजक जोधपुर जोन, जोधपुर ।
10. श्री मोहम्मद अयूब उप नगर नियोजक, जयपुर ।
11. श्री रोशनसिंह सहायक नगर नियोजक, जोधपुर ।
12. श्री नितिन नेहरा सहायक नगर नियोजक, जोधपुर ।
13. श्री जगदीश कलवार सहायक नगर नियोजक,जयपुर ।
14. सुश्री मीनल जैन सहायक नगर नियोजक, जयपुर ।

(i)

अभियांत्रिकी शाखा

1. श्री रणजीत सिंह गच्छ सहायक अभियन्ता, जोधपुर (31-12-07 तक)
2. श्री तेजाराम सांखला कार्यवाहक सहायक अभियन्ता, जोधपुर

अनुसंधान शाखा

1. श्री खेताराम चौधरी अनुसंधान सहायक, जोधपुर । (10.8.07तक)
2. श्री गोपाल लाल जाखड़ अन्वेषक ग्रेड – प्रथम, जयपुर ।
3. श्री रामचन्द्र भाटी कार्यवाहक अनुसंधान सहायक जोधपुर
श्री मुरारी लाल अवस्थी अन्वेषक ग्रेड – द्वितीय, जोधपुर ।
4. श्रीमती आशा शर्मा अन्वेषक ग्रेड – द्वितीय, जयपुर ।

मानचित्र शाखा

1. श्री दिनेश प्रकाश आसोपा नगर नियोजन सहायक, जोधपुर ।
2. श्री पृथ्वीराज वरिष्ठ प्रारूपकार, जोधपुर
3. श्री सुगनचन्द जान्दू कनिष्ठ प्रारूपकार, जोधपुर
4. श्री राजेन्द्र शर्मा कनिष्ठ प्रारूपकार, जयपुर
5. श्री नरेन्द्र उज्जैनियाँ कनिष्ठ प्रारूपकार, जोधपुर
6. श्री प्रदीप शर्मा अनुरेखक, जोधपुर
7. श्री नरसिंह राम अनुरेखक, जोधपुर
8. श्री रामावतार शर्मा फ़ैरोमेन, जोधपुर

मंत्रालयिक शाखा

1. श्री अरुण कुमार माथुर निजी सहायक, जोधपुर

(ii)

विषय – सूची

अध्याय क्रम	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
	योजना दल	(i)
	विषय सूची	(iii)
	तालिका सूची	(viii)
1.0	परिचय	1
2.0	विद्यमान विशेषताएं	4
	2.1 भौतिक स्वरूप और जलवायु	4
	2.2 क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य	4
	2.3 ऐतिहासिक	5
	2.4 जनांकिकी	6
	2.5 व्यावसायिक संरचना	7
	2.6 विद्यमान भू-उपयोग	8
	2.6(1) आवासीय	9
	2.6 (1) अ – आवासन	10
	2.6 (1) ब – कच्ची बस्तियाँ	10
	2.6(2) वाणिज्यिक	11
	2.6(3) औद्योगिक	11
	2.6(4) राजकीय	12
	2.6(4)अ सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय	12
	2.6(5) आमोद – प्रमोद	13
	2.6(5)अ उद्यान एवं खुले स्थल	13
	2.6(5)ब स्टेडियम एवं खेल मैदान	14
	2.6(5)स मेले एवं पर्यटन सुविधाएँ	14
	2.6(5)द अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन	14
	(iii)	

2.6(6)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	14
2.6(6)अ	शैक्षणिक	14
2.6(6)ब	चिकित्सा	15
2.6(6)स	सामाजिक / सांस्कृतिक	16
2.6(6)द	धार्मिक, ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल	16
2.6(6)य	अन्य सामुदायिक सुविधाएँ	17
2.6(6)र	जनोपयोगी सुविधाएँ	17
2.6(6)र(i)	जलापूर्ति	17
2.6(6)र(ii)	जल मल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन	18
2.6(6)र(iii)	विद्युत आपूर्ति	18
2.6(6)ल	शमशान एवं कब्रिस्तान	19
2.6(7)	परिसंचरण	19
2.6(7)अ	यातायात व्यवस्था	19
2.6(7)ब	बस तथा ट्रक टर्मिनल	20
2.6(7)स	रेल एवं हवाई सेवा	21
3.0	नियोजन की संकल्पना	22
3.1	नियोजन का आधार	23
4.0	भावी आकार	25
4.1	जनांकिकी	25
4.2	व्यावसायिक संरचना	26
4.3	नगरीय क्षेत्र	28
4.4	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	28

4.5	योजना परिक्षेत्र	29
	(अ) शहरी योजना परिक्षेत्र	30
	(ब) तलहटी योजना परिक्षेत्र	31
	(स) मावल योजना परिक्षेत्र	31
	(द) परिधि नियन्त्रण पट्टी	32
5.0	भू-उपयोग योजना	33
5.1	आवासीय	34
	5.1 (1) आवासन	34
	5.1 (2) इन्फोरमल सेक्टर के लिए आवास	35
5.2	वाणिज्यिक	36
	5.2(1) फुटकर व्यापार एवं सुविधाजनक दुकानें	37
	5.2(2) जिला केन्द्र	37
	5.2(3) व्यावसायिक केन्द्र	
	5.2(4) विशिष्ट वर्गीकृत एवं थोक बाजार	38
	5.2(5) भण्डारण एवं गोदाम	38
	5.2(6) होटल जोन	38
5.3	औद्योगिक	39
5.4	राजकीय	40
	5.4(1) सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय	40
5.5	आमोद – प्रमोद	41
	5.5(1) उद्यान एवं खुले स्थल	41
	5.5(2) स्टेडियम एवं खेल मैदान	41
	5.5(3) अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन	41
	5.5(4) मेला स्थल एवं सौन्दर्यकरण	42
5.6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	42
	5.6(1) शैक्षणिक	43

5.6(2)	चिकित्सा	44
5.6(3)	सामाजिक / सांस्कृतिक	44
5.6(4)	धार्मिक / ऐतिहासिक स्थल	44
5.6(5)	अन्य सामुदायिक सुविधाएँ	44
5.6(6)	जनोपयोगी सुविधाएँ	45
	5.6(6)अ जलापूर्ति	45
	5.6(6)ब विद्युत आपूर्ति	45
	5.6(6)स जल-मल निकास, एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन	46
5.6(7)	श्मशान एवं कब्रिस्तान	46
5.7	परिसंचरण	46
	5.7(1) प्रस्तावित यातायात संरचना	46
	5.7(1)अ आन्तरिक सड़कों का मार्गाधिकार	48
	5.7(1)ब सड़कों का चौड़ा करना एवं उनका सुधार	48
	5.7(1)स चौराहों का सुधार	49
	5.7(1)द पाकिंग व्यवस्था	49
	5.7(2) बस तथा ट्रक टर्मिनल	50
	5.7(3) रेल एवं हवाई सेवा	50
5.8	परिधि नियंत्रण पट्टी	51
	5.8(1) ग्रामीण आबादी क्षेत्र	51
6.0	योजना का क्रियान्वयन	52
	6.1 वर्तमान आधार	52
	6.2 प्रस्तावित आधार	53
	6.3 जनसहभागिता एवं जन सहयोग	53
	6.4 भू -उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति	54
	6.5 उपसंहार	54

परिशिष्ट :-	1(अ)	राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्घरण (मास्टर प्लान तैयार करने सम्बन्धी)	55
	1(ब)	राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के उद्घरण	58
	2	राजकीय अधिसूचना दिनांक 24 जनवरी, 2003	60
	3.	राजकीय अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त, 2009	62
	4.	राजकीय अधिसूचना दिनांक 04 दिसम्बर, 2009	63
	5.	राजकीय अधिसूचना दिनांक 01 जून, 2012	64

तालिका सूची

पृष्ठ सं.

1. जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति – आबूरोड़ – 1901 –2001	7
2. व्यावसायिक संरचना – आबूरोड़– 1991–2001	8
3. विद्यमान भू-उपयोग – आबूरोड़ – 2005	9
4. औद्योगिक संरचना – आबूरोड़ – 2005	12
5. सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय – आबूरोड़ 2005	13
6. शैक्षणिक संरचना – आबूरोड़ – 2005	15
7. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ – आबूरोड़ – 2005	16
8. जल सम्बन्धों के प्रकार एवं संख्या— आबूरोड़ 2005	18
9. विद्युत उपभोग सम्बन्ध – आबूरोड़ – 2005	19
10. जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति एवं अनुमान – आबूरोड़ 1981 – 2025	26
11. व्यावसायिक संरचना – आबूरोड़ – 2025	27
12. योजना परिक्षेत्र – आबूरोड़ –2025	30
13. प्रस्तावित भू-उपयोग – आबूरोड़– 2025	33
14. प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण आबूरोड़– 2025	36
15. औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण, आबूरोड़ – 2025	40
16. शैक्षणिक संरचना – आबूरोड़– 2025	43
17. सड़कों का मार्गाधिकार – आबूरोड़– 2025	48

1

परिचय

परिचय

आबूरोड़ सिरोही जिले का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कस्बा है यह राज्य के दक्षिण – पश्चिम में बनास नदी के किनारे, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14, राज्य राजमार्ग संख्या 11 व दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग पर स्थित है । आबूरोड़ को गुजरात और राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है । यह कस्बा अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है । यह जिला मुख्यालय सिरोही के दक्षिण में 72 कि.मी. की दूरी पर स्थित है । कस्बे में “द्वितीय” श्रेणी की नगरपालिका है तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण कार्यालय स्थापित है । यहाँ पर भारतीय रेलवे विभाग का काफी बड़ा प्रतिष्ठान है, जिसमें डीजल कार्यशाला एवं लोको शेड प्रमुख है, जहाँ पर स्थानीय तथा आस-पास के कई लोगों को रोजगार मिला हुआ है ।

राज्य का एक मात्र प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल “आबू पर्वत” यहाँ से 27 कि.मी. एवं गुजरात राज्य का प्रसिद्ध “अम्बाजी मन्दिर” 19 कि.मी. दूर है । इन दोनों पर्यटन स्थलों को देखने के लिए देशी एवं विदेशी पर्यटक आते जाते समय अस्थाई रूप से आबूरोड़ में ठहरते हैं, इस कारण कस्बे में अस्थाई जनसंख्या का दबाव हर समय बना रहता है । कस्बे के सीमावर्ती क्षेत्रों में आदिवासी लोगों की जनसंख्या अधिक है । यह कस्बा आस-पास की जनसंख्या के लिए क्रय-विक्रय का प्रमुख केन्द्र है । सन् 1998 में छोटी रेल लाईन को बड़ी लाईन में परिवर्तित कर दिये जाने से यह उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के प्रमुख नगरों से सीधा जुड़ गया है । इस कारण लोगों की यात्रा सुविधाजनक हो गई है तथा यात्रा में समय भी कम लगता है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आबू पर्वत पर निर्माण को निषेध करने के कारण इस नगर की महता काफी बढ़ गयी है ।

राजस्थान सरकार के “आदिवासी क्षेत्रों में अधिक से अधिक औद्योगिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आबूरोड़ कस्बा सम्मिलित करने से यहाँ कई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हुई हैं । यहाँ पर संगमरमर पत्थर उद्योग, बड़े पैमाने पर स्थापित हुआ है । रीको द्वारा अहमदाबाद सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14) के सहारे-सहारे औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये है । यहाँ औद्योगिक इकाइयों में आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है । औद्योगिक विकास के साथ कस्बे में व्यापार एवं

वाणिज्यिक गतिविधियों का काफी विस्तार हुआ है तथा कस्बे की जनसंख्या में भी अधिक वृद्धि हुई है ।

आबूरोड़ की जनसंख्या जनगणना वर्ष 1901 में 6,661 थी, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 47,623 हो गयी । सर्वाधिक वृद्धि दर 1961-71 के दशक में 42.89 प्रतिशत दर्ज की गयी तथा 1991 से 2001 के विगत दशक में वृद्धि दर मात्र 19.65 प्रतिशत रही है, आबूरोड़ का नगरीयकृत विकास काफी होने से समीपीय ग्रामों की आबादी भी नगरीयकृत क्षेत्र में सम्मिलित हो गयी है, परन्तु अभी तक नगरपालिका सीमा का विस्तार नहीं होने से जनगणना में जनसंख्या अपेक्षाकृत कम ही संगणित की जाती रही है ।

विगत वर्षों में शहर के विकास एवं विस्तार के साथ-साथ यहाँ विभिन्न प्रकार की नगरीय समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हैं । पुरानी आबादी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है तथा शहर का अनियोजित, अव्यवस्थित विस्तार हो रहा है । रिहायशी मकानों की कमी है तथा बेघर परिवारों की संख्या बढ़ रही है । इसके अतिरिक्त पार्क एवं खुले स्थलों का अभाव, प्रदूषण, कूड़ा-करकट विसर्जन की समस्या, सीवरेज लाईन का अभाव, तंग सड़कों पर बढ़ता हुआ यातायात दबाव, आधारभूत सुविधाओं की कमी, जल मल निकास की समस्या, पार्किंग समस्या, अतिक्रमण, अनाधिकृत विकास आदि यहाँ की ज्वलन्त समस्याएँ हैं । इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है कि नगर की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप समुचित अधिसंरचना और अन्य नगरीय सुविधाएँ प्रदान की जाय । वस्तुतः शहर के भावी विकास को दिशा-निर्देश देने हेतु एक दीर्घकालीन योजना बनाने की आवश्यकता प्रतीत हुई । अतः कस्बे के सुनियोजित विकास एवं सन्तुलित विकास के लक्ष्य निर्धारण को ध्यान में रखते हुए आबूरोड़ कस्बे का मास्टर प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है ।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं वर्तमान में कस्बे के विस्तार एवं विकास प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए आबूरोड़ के सुनियोजित विकास हेतु राज्य सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत दिनांक 24-1-03 को अधिसूचना जारी कर आबूरोड़ सहित 25 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए इसका नगरीय क्षेत्र अधिसूचित कर अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर को इसका मास्टर प्लान तैयार करने के लिए अधिकृत किया गया । मास्टर प्लान तैयार करते समय आवश्यकता होने के कारण 2 राजस्व ग्रामों को इसमें और सम्मिलित किया गया । इस अधिसूचना की अनुपालना में नगर नियोजन विभाग द्वारा

आबूरोड कस्बे का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर यह प्रारूप मास्टर प्लान तैयार किया गया है । इस योजना का आधार वर्ष, 2005 एवं क्षितिज वर्ष 2025 रखा गया है ।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3 (1) के तहत दिनांक 24.01.2003 को जारी अधिसूचना के अनुसरण में तैयार किये गये आबू रोड के प्रारूप मास्टर प्लान को उक्त अधिनियम की धारा 5 (1) के अन्तर्गत दिनांक 04.12.2009 को जनता की आपत्तियां/सुझाव आमन्त्रित करने हेतु प्रकाशित किया गया । आबू रोड के प्रारूप मास्टर प्लान पर 30 दिवस की निर्धारित समयावधि में कुल 108 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुये है । यह आपत्ति/सुझाव राजकीय कार्यालयों, समूहो, संस्थाओं एवं अधिकांशतः सामान्य जन से प्राप्त हुये है । प्राप्त 108 आपत्ति/सुझाव के अन्तर्गत कुल 132 आपत्ति/सुझाव दर्ज हुये । जांच के उपरान्त 27 आपत्ति/सुझावों को स्वीकृत, 42 आपत्ति/सुझाव स्वीकृत योग्य नहीं, 11 आपत्ति/सुझाव आंशिक स्वीकृति, 52 आपत्ति/सुझावों में मास्टर प्लान स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं समझी गई ।

इस प्रकार स्वीकृत/आंशिक स्वीकृत योग्य पाये गये आपत्ति/सुझावों के अनुसार भू-उपयोग योजना में संशोधन करते हुये आबू रोड का मास्टर प्लान राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5 (3) के अनुसरण में अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है । इसे उक्त अधिनियम की धारा 6 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के पास अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जा रहा है ।



(श्रीमति इन्दिरा)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(पश्चिम),
राजस्थान,जयपुर ।

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक प.10 (57) न वि वि/3/95 जयपुर, दिनांक, 1 जून, 2012 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। (परिशिष्ट 5)

2

विद्यमान विशेषताएँ

विद्यमान विशेषताएँ

2.1 भौतिक स्वरूप और जलवायु

आबूरोड़ राजस्थान के दक्षिण-पश्चिम में $24^{\circ} 27'$ से $24^{\circ} 33'$ उत्तरी अक्षांश एवं $72^{\circ} 41'$ से $72^{\circ} 49'$ पूर्वी देशान्तर पर, माध्य समुद्रतल से 320 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से यह नगर अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में बनास नदी के किनारे पर अवस्थित है। यह कस्बा राज्य की राजधानी जयपुर से 485 कि.मी. एवं जिला मुख्यालय सिरोही से 70 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 एवं राज्य राजमार्ग 11, कस्बे से गुजरते हैं। दिल्ली-अहमदाबाद रेलवे लाईन पर स्थित यह प्रमुख रेलवे स्टेशन है।

इस कस्बे की जलवायु अर्द्ध शुष्क है। यहाँ प्रायः शीत ऋतु नवम्बर से फरवरी, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून एवं वर्षा ऋतु जुलाई से मध्य सितम्बर तक रहती है। ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम एवं अधिकतम औसत तापमान क्रमशः 25 डिग्री एवं 42 डिग्री सेल्सियस रहता है। जून माह इस ऋतु का सबसे गर्म महीना है। इस माह में कभी-कभी अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है। शरद ऋतु में न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान में अन्तर कम रहता है। शीत ऋतु काफी ठण्डी होती है और कभी-कभी तापक्रम हिमांकबिन्दु से नीचे गिर जाता है और पाला भी पड़ता है। यहाँ वर्षा दक्षिण-पश्चिमी मानसून (South-West Monsoon) के आगमन से होती है। वर्षा ऋतु में तापमान में और गिरावट आ जाती है। इस ऋतु में हवा में नमी अधिक रहने से सापेक्षिक आर्द्रता 60 से 80 प्रतिशत तक रहती है। कस्बे में वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 700 मिलीमीटर है। ग्रीष्म ऋतु में प्रचलित हवाओं की दिशा (Prevailing Wind Direction) दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर तथा शरद ऋतु में उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर रहती है।

2.2 क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य

आबूरोड़, सिरोही जिले का सर्वाधिक जनसंख्या वाला कस्बा है। इसके आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों की जनसंख्या अधिक है। अरावली पर्वत श्रृंखला दक्षिण-पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है,

जो अरबसागर और बंगाल की खाड़ी अपवाह क्रम के बीच जल विभाजक का कार्य करती है । आबूरोड़ की पर्वत श्रृंखलाएँ जिले को दो भागों में विभक्त करती है । कस्बे के उत्तर-पश्चिम में जवाई नदी है जो बाद में लूनी नदी में मिल जाती है । बनास नदी जिले की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है जो अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व दिशा में आबूरोड़ कस्बे से होकर बहती है । जिसका प्रवाह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है । जिले में पाये जाने वाले प्रमुख खनिज पदार्थ – ग्रेनाइट, ताम्बा, जस्ता एवं चुना पत्थर है । इन खनिज पदार्थों के अतिरिक्त इसके पश्चय क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाला संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थर की पर्याप्त उपलब्धता के कारण कस्बे में संगमरमर पत्थर कटिंग, घिसाई एवं पॉलिशिंग आदि की औद्योगिक इकाइयाँ बड़े पैमाने पर स्थापित हुई हैं ।

इस क्षेत्र का अधिकांश भाग वनस्पति से आच्छादित है । घाव, बिखरी एवं मिवली के पेड़ चट्टानी पहाड़ियों पर सामान्यतया पाये जाते हैं , इनकी लकड़ी जलाने के उपयोग के अतिरिक्त, बैलगाड़ी एवं कृषि औजार बनाने के काम में आती है । इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है । पश्चय क्षेत्र में उपजाऊ भूमि की उपलब्धता के कारण मक्का, बाजरा, चना, कपास एवं रायडा आदि फसलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है । क्षेत्र के आदिवासियों में मुख्य रूप से गरासिया एवं भील जन-जाति के लोग रहते हैं । यह क्षेत्र गुजरात राज्य की सीमा से लगा होने के कारण यहाँ के लोगों की भाषा में गुजराती भाषा का पुट पाया जाता है । आबू रोड़, सिरौही जिले का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र है ।

2.3 ऐतिहासिक

आबूरोड़ का पुराना नाम खराड़ी था । खराड़ी, ठाकुर मामनसिंह देवड़ा की जागीरी थी । बम्बई रियासत के अधीन रहने के पश्चात् यह सिरौही रियासत के अधीन आ गया । राजस्थान के एक मात्र प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल आबूपर्वत के निकट यह कस्बा दिल्ली-अहमदाबाद रेलवे लाईन द्वारा सन् 1856 में जुड़ने से इसका नाम आबूरोड़ पड़ गया । कुछ समय तक यह कस्बा गुजरात राज्य के अन्तर्गत रहा । राजस्थान निर्माण के पश्चात् यह राजस्थान राज्य के अधीन हो गया । कस्बे के दक्षिणी भाग में स्थित केसरगंज अधिवास की स्थापना महाराजा केशरराजसिंह ने की थी । जो सिरौही के महाराजा थे । केसरगंज में स्थित कोठी का निर्माण महाराजा स्वरूपसिंहजी ने करवाया तथा उन्होंने कस्बे में विद्यमान अस्पताल का भी

निर्माण करवाया । कस्बे में प्रसिद्ध राम मन्दिर का निर्माण विक्रम संवत् 1993 में हुआ । कस्बे के पुराने मौहल्ले जूनी खराड़ी पत्थर गली व आजाद चौक आदि हैं । कस्बे में नगर पालिका की स्थापना सन् 1923 में हुई । नगर पालिका पूर्व में किराये के भवन में चलती थी । अपने स्वयं के भवन में सन् 1994 में स्थानान्तरित हुई कस्बे के उत्तरी-पश्चिमी भाग में डाक बंगले के पास बनास नदी के किनारे पर स्थित है । वर्तमान सीनियर माध्यमिक विद्यालय का पुराना नाम दरबार स्कूल था । इस विद्यालय का निर्माण सन् 1931 में सिरौही के तत्कालीन महाराजा स्वरूपसिंहजी ने करवाया था । वैदिक कन्या सीनियर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना 1941 में प्राथमिक विद्यालय के रूप में हुई थी ।

कस्बे में रेलवे लाईन का आगमन सन् 1856 में हुआ । स्टेशन एवं इसके आस - पास तथा रेलवे कॉलोनी का विकास दिल्ली-अहमदाबाद रेलवे लाईन के बनने के बाद ही हुआ । कस्बे में रीको औद्योगिक क्षेत्र का सन् 1981 के दशक में विकास होना प्रारम्भ हुआ, आज यह औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण रूप से विकसित हो गया है । वर्तमान स्वरूप में कस्बे का अधिकांश विकास आजादी के बाद हुआ । कस्बे की नई बस्तियाँ, यथा सिन्धी कॉलोनी, गांधीनगर, रेलवे कॉलोनी, बैंक कॉलोनी, हिना कॉलोनी, प्रेम नगर, मानपुरा एवं आकरा भट्टा तलहटी आदि हैं ।

2.4 जनांकिकी

आबूरोड़ की जनसंख्या के आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जनगणना वर्ष, 1931 – 1941 के दशक में वृद्धिदर बहुत धीमी रही, वर्ष 1901 से 1941 के दौरान चार दशकों में जनसंख्या में लगभग डेढ़ गुना वृद्धि हुई है । 1941 से 1991 की अवधि (5 दशकों) में कस्बे की जनसंख्या में लगभग चार गुना वृद्धि हुई। इन दशकों में जनसंख्या की औसत वृद्धि दर 33.5 प्रतिशत रही है । वर्ष 1961-71 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र रही । इस अवधि में जनसंख्या तीव्र वृद्धि के मुख्य कारण कस्बे में व्यावसायिक गतिविधियाँ, नई आवासीय बस्तियों का विकास तथा रेलवे प्रतिष्ठान (डीजल कार्यशाला एवं रेलवे के कई कार्यालय) की स्थापना आदि रहे हैं । 1971 से 1991 के दो दशकों में कस्बे की जनसंख्या में लगभग 14,500 की वृद्धि हुई । इस तीव्र वृद्धि का प्रमुख कारण कस्बे में वाणिज्यिक गतिविधियों की बढ़ती तथा औद्योगिक विकास एवं नई आवासीय बस्तियों का विकसित होने से आवास-प्रवास कारक प्रभावी रहा है । वर्ष 1991 में आबूरोड़ की जनसंख्या 39,802 तथा

वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार आबूरोड़ की जनसंख्या 47,623 थी । मास्टर प्लान के आधार वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या लगभग 50000 है। जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति को तालिका संख्या-1 में दर्शाया गया है

तालिका – 1
जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति आबूरोड़ – 1901–2001

वर्ष	जनसंख्या	दशकीय अन्तर	वृद्धि दर प्रतिशत
1901	6,661	—	—
1911	7,180	519	+ 7.79
1921	8,199	1,019	+ 14.19
1931	9,725	1,526	+ 18.61
1941	9,935	210	+ 02.16
1951	12,544	2,609	+ 26.26
1961	17,728	5,184	+ 41.33
1971	25,331	7,603	+ 42.89
1981	31,280	5,949	+ 23.49
1991	39,802	8,522	+ 27.24
2001	47,623	7,821	+ 19.65

स्रोत : जनगणना 1991 एवं 2001

2.5 व्यवसायिक संरचना

वर्ष 1991 की जनगणना अनुसार आबूरोड़ कस्बे में कार्यशील जनसंख्या का सहभागिता अनुपात 28.13 प्रतिशत अर्थात् कुल कामगारों की संख्या 11,196 थी । वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार कुल कामगारों की संख्या 13,270 रही है । जो कुल जनसंख्या से कार्यशील जनसंख्या का सहभागिता अनुपात 27.86 प्रतिशत है । आबूरोड़ में पिछले दशकों में नगरीय गतिविधियों के बढ़ने से कृषि जोत के क्षेत्रफल में कमी होने से कृषि एवं इससे सम्बन्धित व्यवसाय में कामगारों का प्रतिशत घटा है और औद्योगिक गतिविधियों में कामगारों का प्रतिशत बढ़ा है । वर्ष 1991 में उद्योग व्यवसाय के अन्तर्गत 25.71 प्रतिशत, परिवहन एवं संचार में 23.15 प्रतिशत, व्यापार एवं वाणिज्य में 18.62 प्रतिशत, कृषि एवं इससे सम्बन्धित व्यवसाय में 8.82 प्रतिशत, निर्माण में 3.42 प्रतिशत तथा अन्य सेवाओं में 20.28 प्रतिशत कामगार कार्यरत थे । वर्ष 2001 में उद्योग व्यवसाय में 31.50 प्रतिशत, परिवहन एवं संचार में 24 प्रतिशत, व्यापार एवं वाणिज्य में

19.50 प्रतिशत, कृषि एवं इससे सम्बन्धित व्यवसाय में 1.40 प्रतिशत, निर्माण में 3.50 प्रतिशत तथा अन्य सेवाओं में 20.10 प्रतिशत कामगारों के कार्यरत होने का अनुमान लगाया गया है । तालिका-2 में 1991-2001 की व्यावसायिक संरचना को दर्शाया गया है :-

तालिका - 2
व्यवसायिक संरचना, आबूरोड़ - 1991-2001

क्रम संख्या	व्यवसाय	1991 कामगारों की संख्या	कामगारों का प्रतिशत	2001 कामगारों की संख्या	कामगारों का प्रतिशत
1.	कृषि एवं इससे सम्बन्धित	988	8.82	186	1.40
2.	उद्योग	2,878	25.71	4,180	31.50
3.	व्यापार एवं वाणिज्य	2,085	18.62	2,588	19.50
4.	निर्माण	382	3.42	464	3.50
5.	परिवहन एवं संचार	2,592	23.15	3,185	24.00
6.	अन्य सेवाएँ	2,271	20.28	2,667	20.10
	योग	11,196	100.00	13,270	100.00

स्रोत :- जनगणना, 1991 एवं विभागीय अनुमान

2.6 विद्यमान भू - उपयोग

वर्तमान में कस्बे का नगरीयकृत क्षेत्रफल लगभग 3,186 एकड़ है, इसमें से लगभग 2,275 एकड़ विकसित क्षेत्र है । तथा शेष भूमि खुली, कृषि, नदी-नालों एवं जलाशयों के अन्तर्गत आती है । कुल विकसित क्षेत्रफल में से 1005 एकड़ भूमि आवासीय है जो विकसित क्षेत्रफल का 44.18 प्रतिशत है । यह भू-उपयोग अन्य भू-उपयोगों के अपेक्षा सबसे अधिक है । आवासीय उपयोग के बाद सबसे बड़ा भू-उपयोग औद्योगिक है । इस उपयोग के अन्तर्गत 430 एकड़ क्षेत्र है जो कुल विकसित का 18.90 प्रतिशत है । सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग के अन्तर्गत 224 एकड़ अर्थात् 9.85 प्रतिशत भूमि है । सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी उपयोग के अन्तर्गत 10 एकड़ (0.44 प्रतिशत) भूमि है । व्यावसायिक एवं आमोद-प्रमोद (मनोरंजन) के अन्तर्गत क्रमशः 2.46 तथा 0.97 प्रतिशत क्षेत्र

है । परिवहन (सड़क एवं रेल परिचालन) के अन्तर्गत 23.20 प्रतिशत भू-भाग है । तालिका संख्या -3 में कस्बे के विद्यमान भू-उपयोग को दर्शाया गया है :-

तालिका - 3
विद्यमान भू-उपयोग, आबूरोड़ - 2005

क्र. संख्या	भू - उपयोग	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकसित क्षेत्रफल का प्रतिशत	नगरीयकृत क्षेत्रफल का प्रतिशत
1.	आवासीय	1005.00	44.18	31.54
2.	व्यावसायिक	56.00	2.46	1.76
3.	औद्योगिक	430.00	18.90	13.50
4.	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी	10.00	0.44	0.31
5.	आमोद-प्रमोद	22.00	0.97	0.69
6.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	224.00	9.85	7.03
7.	परिसंचरण	528.00	23.20	16.57
	विकसित क्षेत्र	2,275.00	100.00	—
8.	जलाशय, नदी एवं नाले	185.00	—	5.80
9.	पहाड़ी भूमि	11.00	—	0.35
10.	कृषि एवं खुली भूमि	625.00	—	19.62
11.	हवाई पट्टी	90.00	—	2.83
	नगरीयकृत क्षेत्र	3,186.00		100.00

स्रोत :- विभागीय सर्वेक्षण ।

2.6 (1) आवासीय

आवासीय उपयोग के अन्तर्गत 1005 एकड़ भूमि है जो कस्बे के कुल विकसित क्षेत्रफल का 44.18 प्रतिशत है । आवासीय उपयोग अन्य उपयोगों में सबसे अधिक है । वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार कस्बे की जनसंख्या 47,623 तथा मास्टर प्लान के आधार वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या लगभग 50,000 है । कस्बे का औसत घनत्व लगभग 21 व्यक्ति प्रति एकड़ तथा आवासीय घनत्व 50 व्यक्ति प्रति एकड़ है । वर्तमान में

नगर पालिका के 25 वार्ड है । कस्बे के भीतरी भाग में जनसंख्या का घनत्व अधिक है । यहाँ औसत घनत्व 122 व्यक्ति प्रति एकड़ है । बाहर के क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम है । कस्बे के भीतरी भाग में आवासीय भवन एक दूसरे से सटे हुए एवं अधिकांशतः दो मंजिले है । कस्बे के भीतरी भाग में आवासीय क्षेत्रों में सड़कों की चौड़ाई कम है । इस क्षेत्र के मुख्य आवासीय मौहल्ले – पत्थर गली, जूनी खराड़ी, पारसीचाल, आजाद मैदान, सुभाष मार्केट, कुमार मौहल्ला, बगीचा कॉलोनी, हरिजन मौहल्ला, बागरियों का बास, ईदगाह मौहल्ला आदि हैं । इन आवासीय क्षेत्रों में सामुदायिक सुविधाओं का अभाव है । हिन्दुओं के प्रमुख मन्दिरों में गोपालजी एवं राम मन्दिर तथा मुस्लिम धर्म की ईदगाह आदि शहर के भीतरी भाग में स्थित है ।

कस्बे के बाहर के आवासीय क्षेत्रों में भवन एक दूसरे से सटे हुए न होकर उनमें खुलापन है । इन क्षेत्रों में अधिकांश भवन भू-तलीय है, तथा सेट बैक आदि छोड़े हुए हैं । इन क्षेत्रों में बसी प्रमुख आवासीय बस्तियाँ – सिन्धी कॉलोनी, गांधीनगर, रेलवे कॉलोनी आदि हैं । इन आवासीय बस्तियों में सामुदायिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं तथा शहर के भीतरी भाग में सड़कों की चौड़ाई अपेक्षाकृत अधिक है ।

2.6 (1) अ. आवासन

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार कस्बे की कुल जनसंख्या 47,623 थी । कुल परिवारों की संख्या 9,239 तथा आबाद आवासों की संख्या 8,990 थी । राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा, कस्बे में काफी आवासों का निर्माण करवाया गया है । यहाँ पर रेलवे विभाग तथा राज्य सरकार के विभिन्न आवास निर्मित है ।

2.6 (1) ब. कच्ची बस्तियाँ

कस्बे के विभिन्न भागों में अधिसूचित कच्ची बस्तियों की संख्या 15 हैं । ये गांधीनगर, मानपुरा, लुणियापुरा, केसरगंज, लोधवाड़ा, धोबीघाट एवं गौ-शाला आदि क्षेत्रों में बसी हुई है । इन बस्तियों में लगभग 960 परिवार है, अर्थात् कस्बे की कुल जनसंख्या के 8 प्रतिशत लोग इन बस्तियों में निवास करते है । इन बस्तियों में जन सुविधाओं का प्रायः अभाव है ।

2.6 (2) वाणिज्यिक

आबूरोड सिरोही जिले का एक प्रमुख व्यापार एवं वाणिज्यिक केन्द्र है व्यावसायिक उपयोग के अन्तर्गत 56.00 एकड़ क्षेत्र है जो कस्बे के कुल विकसित क्षेत्र का 2.46 प्रतिशत है । व्यावसायिक गतिविधियाँ, मुख्य रूप से सदर बाजार में एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 14 के सहारे-सहारे केन्द्रित है । सदर बाजार पहले से ही अधिभारित व्यावसायिक क्षेत्र है । सदर बाजार में व्यावसायिक गतिविधियों के अन्तर्गत किराणा, कपड़ा, फेन्सी, क्रोकरी, दवाइयाँ, मिठाइयाँ, चाय, दूध, कॉफी, सोना, चांदी आभूषण आदि की दुकानें संचालित हैं । राष्ट्रीय राजमार्ग 14 के सहारे ऑटो पार्ट्स, मशीनरी रिपेयरिंग आदि की दुकानें हैं । कस्बे में सुव्यवस्थित एवं नियोजित बाजार का अभाव है । वर्तमान में अनाज एवं फल सब्जी का थोक एवं खुदरा व्यावसाय सदर बाजार में सड़कों के सहारे होता है ।

इस व्यावसायिक क्षेत्र में सड़कों की चौड़ाई बहुत कम होने से हर वक्त आवागमन अवरूद्ध होने की समस्या बनी रहती है अर्थात् यातायात बाधित होता रहता है एवं लोगों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है ।

खाद-बीज संग्रह के लिए आबकारी कोठी में तथा इसके समीप विभिन्न आकार एवं क्षमता वाले 6 गोदाम राजस्थान राज्य भण्डारण निगम द्वारा संचालित है । कस्बे में 23 होटल एवं गेस्ट हाऊस, दो छविगृह है । यह व्यवसाय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 14 के सहारे-सहारे दोनों ओर केन्द्रित है । गांधीनगर, सिन्धी कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी आदि आवासीय क्षेत्रों में तथा रीको की आवासीय बस्ती में व्यवस्थित व्यावसायिक केन्द्र स्थापित है ।

2.6 (3) औद्योगिक

आबूरोड सिरोही जिले का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कस्बा है । आवासीय भू - उपयोग के बाद कस्बे का दूसरा बड़ा भू-भाग औद्योगिक उपयोग के अधीन है । इस भू उपयोग के अन्तर्गत 430.00 एकड़ भूमि है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 18.90 प्रतिशत है । यहाँ छोटे एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग स्थापित हैं । यहाँ अरबूदा, अम्बाजी, रीको ग्रोथ सेंटर फेज प्रथम एवं द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र है । ये औद्योगिक क्षेत्र कस्बे के दक्षिण में अहमदाबाद सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग 14) के दोनों ओर तथा पूर्व में इसके

बाई पास के सहारे स्थित है । इन औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकांश संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थर ईकाइयाँ स्थापित है । राष्ट्रीय राजमार्ग 14 के सहारे चन्द्रावती एवं मावल में रीको द्वारा मिनी ग्रोथ सेन्टर विकसित किया जा रहा है । इन औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त कस्बे के विभिन्न भागों में निजी औद्योगिक इकाइयाँ भी कार्यशील है । यहाँ पर रेलवे की बड़ी डीजल कार्यशाला स्थापित है तथा इस कार्यशाला में लगभग 950 श्रमिक कार्यरत हैं । तालिका संख्या-4 में विभिन्न उद्योगों के प्रकार एवं उनमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या को दर्शाया गया है ।

तालिका – 4
औद्योगिक संरचना आबूरोड़ 2005

क्रम संख्या	उद्योगों का प्रकार	इकाइयों की संख्या	नियोजित श्रमिकों की संख्या
1.	वृहद पैमाने के उद्योग	4	1983
2.	लघु पैमाने के उद्योग	736	3,680
	(i) कृषि आधारित उद्योग	212	1,060
	(ii) खनिज आधारित उद्योग	161	805
	(iii) वन आधारित उद्योग	123	615
	(iv) अन्य	240	1,200
	योग	740	5,663

स्रोत : कार्यालय जिला उद्योग अधिकारी, आबूरोड़ ।

2.6 (4) राजकीय

2.6 (4) अ. सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय

आबूरोड़ तहसील मुख्यालय है । यहाँ पर कई सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय स्थित हैं । आबूरोड़ में रेलवे विभाग के कई कार्यालय है । इस उपयोग के अन्तर्गत 10.00 एकड़ भूमि है जो कस्बे के कुल विकसित क्षेत्र का 0.44 प्रतिशत है । अधिकांश राजकीय कार्यालय कस्बे के पश्चिमी भाग में आबकारी सड़क पर स्थित हैं । इस क्षेत्र में न्यायालय, तहसील, उपकोषागार, नगर पालिका, वन विभाग एवं आबकारी विभाग के कार्यालय स्थित हैं । कुछ कार्यालय किराये के भवनों में चल रहे हैं । विभिन्न सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों की संख्या 77 है तथा इन कार्यालयों

में 3657 कर्मचारी नियोजित है । निम्न तालिका-5 में विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है ।

तालिका-5
सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय, आबूरोड़ 2005

क्रम संख्या	कार्यालयों का प्रकार (श्रेणी)	कार्यालयों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
1.	राज्य सरकार के कार्यालय	28	380
2.	राज्य सरकार के अर्द्ध सरकारी कार्यालय	9	589
3.	केन्द्र सरकार के कार्यालय	18	2,552
4.	केन्द्र सरकार के अर्द्ध सरकारी कार्यालय	12	22
5.	बैंक (राष्ट्रीयकृत एवं अन्य)	10	114
	योग	77	3,657

स्रोत : विभागीय सर्वेक्षण

2.6 (5) आमोद – प्रमोद :-

आबूरोड़ में नियोजित रूप से आमोद-प्रमोद के स्थलों का अभाव है । इस भू-उपयोग के अन्तर्गत 22 एकड़ भूमि आती है जो विकसित क्षेत्र का 0.96 प्रतिशत है ।

2.6 (5) अ. उद्यान एवं खुले स्थल

पर्यावरण की दृष्टि से पाक्र एवं खुले स्थल अत्यधिक महत्वपूर्ण है । स्वास्थ्यप्रद नगरीय जीवन के लिए पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण आवश्यक है । कस्बे में नगरीय स्तर के उद्यानों का अभाव है । यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से विकसित 3 उद्यान है । शान्तिकुंज उद्यान जो आबूपर्वत सड़क के सहारे सनवाड़ा पुल के पास, मोहन वाटिका सार्वजनिक विश्राम गृह के पास तथा गांधी उद्यान, आर्य समाज विद्यालय के पास स्थित है । इनके अलावा नियोजित ढंग से विकसित आवासीय योजनाओं में पाक्र एवं खुले स्थल छोड़े गये हैं ।

2.6 (5) ब. स्टेडियम एवं खेल मैदान

कस्बे में नगरीय स्तर के स्टेडियम का अभाव है । कस्बे के पूर्वी भाग में स्थित रेलवे कॉलोनी में एक छोटा स्टेडियम बना हुआ है जो रेलवे विभाग के अधिकार क्षेत्र में है । कुछ विद्यालयों में भी खेल मैदान है । रेलवे स्टेडियम एवं विद्यालय के खेल मैदानों में, खेलकूद प्रतियोगिताएँ तथा 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को राष्ट्रीय समारोहों का आयोजन होता है ।

2.6 (5) स. मेले एवं पर्यटन सुविधाएँ

यहाँ पर विभिन्न तरह के मेलों का आयोजन हेतु केशरगंज में एक छोटा मेला स्थल है । यह स्थल, मेला गतिविधियों के लिए पर्याप्त नहीं है । यहाँ पर देशी-विदेशी सैलानियों के ठहरने हेतु कस्बे के विभिन्न क्षेत्रों में 6 धर्मशालाएँ व 23 होटल एवं गेस्ट हाऊस बने हुए हैं ।

2.6 (5) द. अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजन

कस्बे में सार्वजनिक मनोरंजन की सुविधाओं की उपलब्धता नगरीय सुविधा के अनुरूप नहीं है । कुछ नये आवासीय क्षेत्रों में सामुदायिक भवन निर्मित है । कस्बे में, जनता के मनोरंजन के लिए दो क्लब तथा रीको के औद्योगिक क्षेत्र के समीप, पालनपुर सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग 14) पर एक वाटर एम्पूजमेंट पाक संचालित है ।

2.6 (6) सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

2.6 (6) अ. शैक्षणिक

कस्बे में प्राथमिक शिक्षा से महाविद्यालय स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु शैक्षणिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं । विद्यालय स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने हेतु 6 सीनियर माध्यमिक विद्यालय, 5 माध्यमिक विद्यालय, 15 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 28 प्राथमिक विद्यालय हैं, इनमें कुल विद्यार्थियों की संख्या 17037 है । यहाँ पर एक महाविद्यालय है जो लोधवाड़ा में स्थित है । इसमें 497 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं । तकनीकी शिक्षा हेतु कस्बे के दक्षिण भाग में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, जिसमें 143 विद्यार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं ।

तालिका - 6
शैक्षणिक संरचना, आबूरोड़ - 2005

क्रम संख्या	विद्यालय स्तर	आयु वर्ग	विद्यालयों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय	3 - 10	28	4,521
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	11 - 13	15	5,515
3.	माध्यमिक विद्यालय	14 - 16	5	2,236
4.	सीनियर माध्यमिक विद्यालय	17 - 18	6	4,765
	योग		54	17,037

स्रोत : कार्यालय, जिला शिक्षा एवं जिला वरिष्ठ उप शिक्षा अधिकारी, सिरौही एवं आबूरोड़ ।

2.6 (6) ब. चिकित्सा

चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने हेतु कस्बे में मुख्यतः दो चिकित्सालय हैं, एक राज्य सरकार द्वारा संचालित है तथा दूसरा भारत सरकार के रेलवे विभाग द्वारा संचालित है । राजकीय चिकित्सालय, आबूपर्वत सड़क पर तथा रेलवे चिकित्सालय, रेलवे कॉलोनी में स्थित है । राजकीय चिकित्सालय में तीस शैय्याएँ हैं । वर्तमान में उपलब्ध चिकित्सा सुविधा अपर्याप्त है । यहाँ पर सान्तपुर में एक राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय कार्यशील है । कचहरी रोड़ पर राजकीय होम्योपैथिक औषधालय संचालित है । कस्बे में महिलाओं के लिए अलग से प्रसूति गृह एवं शिशुओं के लिए शिशु चिकित्सालय नहीं है । इन राजकीय चिकित्सालयों एवं औषधालयों के अतिरिक्त कस्बे के विभिन्न भागों में चार निजी चिकित्सालय हैं । इन चिकित्सालयों में रोगियों के बाह्य उपचार के साथ ही गम्भीर रोगों के उपचार के लिए भर्ती करने हेतु शैय्याएँ सुविधा उपलब्ध है । कस्बे में कुछ निजी क्लिनिक भी कार्यशील है । तालिका -7 में विभिन्न चिकित्सा सेवाओं एवं उनमें उपलब्ध सुविधाओं को दर्शाया गया है:-

तालिका – 7
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, आबूरोड़ – 2005

क्रम संख्या	चिकित्सालय/औषधालय का नाम	शैय्याओं की संख्या	अन्य सुविधाएँ
1.	राजकीय चिकित्सालय (आबू पर्वत सड़क पर)	30	शल्य चिकित्सा एवं जाँच
2.	रेलवे चिकित्सालय	24	शल्य चिकित्सा एवं जाँच
3.	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सांतपुर	—	बहिरंग सुविधा
4.	राजकीय होम्योपैथिक औषधालय	—	बहिरंग सुविधा
5.	श्रीराम चिकित्सालय	8	शल्य चिकित्सा एवं जाँच
6.	बंसल चिकित्सालय	10	शल्य चिकित्सा एवं जाँच
7.	केला चिकित्सालय	10	शल्य चिकित्सा एवं जाँच
8.	साईबाबा चिकित्सालय	12	शल्य चिकित्सा एवं जाँच

स्रोत : विभागीय सर्वेक्षण ।

2.6 (6) स. सामाजिक/सांस्कृतिक

कस्बे में विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु गांधी उद्यान में एक टाऊन हॉल एवं स्टेडियम मैदान है। कस्बे में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विभिन्न संस्थाएँ कार्यरत हैं।

2.6 (6) द. धार्मिक, ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल

कस्बे के उत्तर में लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर ऋषिकेश नामक धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर हिन्दुओं के कई प्राचीन मन्दिर हैं। इसी तरह कस्बे के पूर्व में लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर गुजरात राज्य की सीमा में अम्बाजी का मन्दिर है, जो सम्पूर्ण गुजरात तथा राजस्थान में अम्बाजी के नाम से सुप्रसिद्ध है। वर्ष भर यहाँ पर दर्शनार्थियों का मेला लगा रहता है। इनके अलावा कस्बे के भीतरी भाग में गोपालजी का मन्दिर, राम मन्दिर, आनन्देश्वर मन्दिर, शिव मन्दिर, तथा गायत्री मन्दिर आदि प्रमुख हैं। मुस्लिम, ईसाई, सिख तथा फारसी धर्मावलम्बियों के लिए क्रमशः ईदगाह, मस्जिदें, गिरजाघर, गुरुद्वारा तथा पारसीचाल (फायर टेम्पल) आदि निर्मित हैं। कस्बे में जैन धर्मावलम्बियों के लिए कई जैन

मन्दिर भी है । तलहटी में ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय प्रांगण में धार्मिक गतिविधियाँ संचालित है । यहाँ पर एक विशाल हाल भी निर्मित है ।

2.6 (6) य. अन्य सामुदायिक सुविधाएँ

कस्बे में अन्य सामुदायिक सुविधाओं की उपलब्धता नगरीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है । कुछ नये आवासीय क्षेत्रों में सामुदायिक भवन निर्मित है । कस्बे में तीन पेट्रोल पम्प, एक मुख्य डाकघर तथा चार उप डाकघर, एक दूरभाष केन्द्र तथा इसी के साथ तारघर है । कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु एक पुलिस स्टेशन तथा चार पुलिस चौकियाँ हैं । इनके अतिरिक्त रेलवे पुलिसथाना एवं रेलवे सुरक्षा बल का भी थाना है । नगर पालिका के पास अपनी अग्निशमन सेवा उपलब्ध नहीं है, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर रेलवे विभाग द्वारा अग्निशमन सेवा प्रदान की जाती है । विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं को पढ़ने हेतु नगर पालिका द्वारा एक वाचनालय संचालित है ।

2.6 (6) र. जनोपयोगी सुविधाएँ

2.6 (6) र. (i) जलापूर्ति

रेलवे कॉलोनी एवं रीको औद्योगिक क्षेत्रों को छोड़कर कस्बे के विभिन्न भागों में कुएँ एवं एक नलकूप है । इन जल स्रोतों से प्रतिदिन 22.48 लाख लीटर जल उत्पादन कर विभिन्न क्षेत्रों में वितरित किया जाता है, जबकि मांग 46 लाख लीटर है । वर्तमान में जलापूर्ति प्रत्येक दूसरे दिन की जाती है । यहाँ पर भिन्न-भिन्न क्षमता वाले 7 उच्च जलाशय, 270 लाख लीटर क्षमता वाला एक सी.डब्ल्यू.आर. बना हुआ है । रेलवे कॉलोनी में जलापूर्ति रेलवे विभाग द्वारा की जाती है । कस्बे के विभिन्न क्षेत्रों में 148 हैण्ड पम्प कार्यशील है । जलदाय विभाग द्वारा विभिन्न प्रयोजनार्थ दिये गये जल सम्बन्धों को तालिका-8 में दर्शाया गया है :-

तालिका – 8
जल सम्बन्धों के प्रकार एवं संख्या, आबूरोड़ – 2005

क्रम संख्या	जल सम्बन्धों के प्रकार	जल सम्बन्धों की संख्या
1.	घरेलू	5,238
2.	वाणिज्यिक	69
3.	औद्योगिक	26
4.	अन्य	25
	योग	5,358

स्रोत : जलदाय विभाग, आबूरोड़

2.6 (6) र. (ii) जल-मल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन

कस्बे में जल-मल निस्तारण हेतु भूमिगत सीवरेज प्रणाली की व्यवस्था नहीं है । दूषित जल खुली नालियों में बहाया जाकर व मुख्य नालों के जरिये बनास नदी में सीधा ही निस्तारण किया जाता है, जिससे वातावरण दूषित बना रहने के कारण अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैलने की आशंका बनी रहती है । नई बसी आवासीय कॉलोनियाँ एवं कच्ची बस्तियों में नालियों की व्यवस्था नहीं होने से लोगों द्वारा घरों का दूषित जल सीधा सड़कों पर प्रवाहित कर दिया जाता है तथा सड़कों पर गन्दा पानी इकट्ठा रहने से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है । वर्षाकाल में इन क्षेत्रों में स्थिति और भी विकट हो जाती है । शहर का ठोस कचरा कस्बे के पश्चिम भाग में बनास नदी के किनारे डाला जाता है तथा कभी-कभी सड़कों के किनारे डाल दिये जाने से यातायात में बाधा उत्पन्न होती है । इससे प्रायः शहर में गन्दगी बनी रहती है । वर्तमान में नगर पालिका के सफाई करने के लिए न तो पर्याप्त सफाई कर्मचारी है, न कचरा पात्र है तथा न ही कचरा उठाने के साधन है ।

2.6 (6) र. (iii) विद्युत आपूर्ति

कस्बे में विद्युत आपूर्ति जोधपुर विद्युत वितरण निगम, आबूरोड़ द्वारा की जाती है । विद्युत का मुख्य स्रोत सिरौही से आने वाली 132 के.वी. लाईन है । कस्बे के पूर्वी भाग में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 के बाई पास पर 12.5 एम.वी.ए. क्षमता का विद्युत उपकेन्द्र बना हुआ है । यहाँ से विभिन्न

क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की जाती है । कस्बे में प्रतिमाह औसतन विद्युत की खपत 37 लाख यूनिट है । तालिका – 9 में वर्तमान में विभिन्न प्रकार के विद्युत सम्बन्धों को दर्शाया गया है :-

तालिका-9
विद्युत उपभोग सम्बन्ध, आबूरोड़-2005

क्रम संख्या	विद्युत उपभोग के प्रकार	विद्युत सम्बन्धों की संख्या
1.	घरेलू	6,167
2.	वाणिज्यिक	2,148
3.	औद्योगिक	439
4.	कृषि	22
5.	अन्य	54
	योग	8,830

स्रोत : जोधपुर विद्युत वितरण निगम, आबूरोड़ ।

2.6 (6) ल. श्मशान एवं कब्रिस्तान

कस्बे के उत्तरी भाग में बनास नदी के किनारे विभिन्न जातियों एवं धर्मावलम्बियों के श्मशान एवं कब्रिस्तान बने हुए हैं ।

2.6 (7) परिसंचरण

आबूरोड़, सड़क एवं रेल द्वारा देश के विभिन्न भागों से भली-भाँति जुड़ा हुआ है । आबूरोड़ में परिसंचरण भू-उपयोग के अन्तर्गत 528.00 एकड़ भूमि है जो विकसित क्षेत्र का 23.20 प्रतिशत है । आबूरोड़ शहर राष्ट्रीय राजमार्ग-14 एवं राज्य राजमार्ग-11 तथा जोधपुर-अहमदाबाद बड़ी रेल लाईन से जुड़ा हुआ है । यह कस्बा दक्षिण-पूर्व में अम्बाजी सड़क पालनपुर सड़क तथा उत्तर-पश्चिम में आबूपर्वत सड़क से जुड़ा हुआ है ।

2.6 (7) अ. यातायात व्यवस्था

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 पर यातायात आवृत्ति अधिक है इस कारण कस्बे के पूर्वी भाग में बाई पास का निर्माण करवाया गया है । भारी वाहन उक्त बाई -पास का उपयोग करते हैं । कस्बे की मुख्य आन्तरिक सड़कें रेलवे स्टेशन, पश्चिम में कचहरी एवं आबकारी कोठी की ओर जाने वाली सड़कें हैं, जिनकी चौड़ाई कम है । इन सड़कों के दोनों ओर व्यावसायिक

गतिविधियाँ संचालित हैं । यहाँ सड़क भाग में जगह-जगह पर अतिक्रमण है, जिससे इन सड़कों पर यातायात प्रायः अवरूद्ध होता रहता है ।

कस्बे की दूसरी आन्तरिक सड़क रेलवे स्टेशन से गांधीनगर होती हुई पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 14 के बाई पास से मिलती है । इस सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग होने से यातायात में बाधा उत्पन्न होती रहती है । कस्बे के दक्षिणी भाग में अहमदाबाद सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग-14) जो रीको औद्योगिक क्षेत्र में से होकर गुजरती है तथा इस सड़क पर यातायात का सदैव दबाव बना रहता है । कस्बे के उत्तर में, आबूपर्वत जाने वाली सड़क, बनास नदी के पुल पर से गुजरती है । इस पुल की चौड़ाई कम होने से दो वाहन एक साथ नहीं गुजर सकते हैं, इस कारण यातायात में बाधा उत्पन्न होती रहती है । अब इस पुल को चौड़ा करने का कार्य प्रगति पर है । कस्बे के मुख्य सदर बाजार सड़क की एवं अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों की सड़कों की चौड़ाई कम होने से तथा अतिक्रमण होने से सुगम आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है । कस्बे में केवल रीको कॉलोनी एवं रेलवे कॉलोनी की सड़कों की चौड़ाई पर्याप्त है । आबूरोड़ में पार्किंग स्थल नहीं होने के कारण, वाहन सड़कों के मार्गाधिकार क्षेत्र में खड़े किये जाते हैं, इससे यातायात व्यवस्था बाधित होती है । मुख्य सड़कों के क्रॉसिंग पर चौराहों का निर्माण तथा ट्राफिक सिग्नल की व्यवस्था नहीं होने से वाहनों आवागमन नियन्त्रित रूप से संचालित नहीं हो पाता है ।

2.6 (7) ब. बस तथा ट्रक टर्मिनल

रोड़वेज एवं निजी बसों के संचालन हेतु कस्बे में व्यवस्थित बस स्टैण्ड नहीं है । वर्तमान में हर रोज 150 बसों का संचालन आबूपर्वत सड़क पर अम्बाजी मन्दिर के पास नव निर्मित बस स्टैण्ड से होता है । रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन 16 रेलगाड़ियों का आवागमन होता है । स्थानीय यातायात हेतु वर्तमान में निजी नगरीय बस सेवा उपलब्ध है । कस्बे में ट्रांसपोर्ट नगर नहीं होने से ट्रांसपोर्ट कम्पनियाँ कस्बे के विभिन्न भागों में स्थित हैं तथा ट्रकों के माल ढुलाई का कार्य मुख्य सड़कों के सहारे होता है । इससे परिसंचरण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

2.6 (7) स. रेल एवं हवाई सेवा

दिल्ली-अहमदाबाद बड़ी रेलवे लाईन पर आबूरोड़ एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है । यहाँ प्रतिदिन 16 सवारी रेलगोड़ियाँ तथा मालगाड़ियों का आवागमन होता है । रेलवे स्टेशन के सामने पार्किंग स्थल नहीं होने से सड़क के किनारे जीप, कार, टैक्सियाँ, ऑटो रिक्शा आदि खड़े रहने से प्रायः यातायात अवरूद्ध होता रहता है, इससे लोगों के आगमन में हर वक्त असुविधा बनी रहती है । आबूरोड़ में हवाई सेवा उपलब्ध नहीं है, परन्तु यहाँ पर एक हवाई पट्टी बनी हुई है, जहाँ अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए हेलीकॉप्टर उतरने की व्यवस्था है ।

3

नियोजन की संकल्पना

नियोजन की संकल्पना

प्राचीन काल से ही मानव अपनी सुरक्षा, विभिन्न सेवाओं के आदान-प्रदान, भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं, धार्मिक, सामाजिक क्रियाकलापों आदि के लिए समूहों में रहता रहा है । इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वरूप ही नगरों की संरचना प्रारम्भ हुई । नगर के भौतिक स्वरूप व उसकी संरचना पर नगरवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है । मध्यकाल के दौरान सुरक्षा ही मानव का मुख्य लक्ष्य था । अतः नगरों का विकास सुरक्षित स्थलों वनस्पति से आच्छादित क्षेत्रों, नदी घाटियों के समीप, उच्च स्थलों पर होना प्रारम्भ हुआ । बाद में इन्हीं नगरों में प्रशासनिक, सांस्कृतिक, धार्मिक शिक्षा, व्यापार एवं वाणिज्यिक तथा यातायात इत्यादि गतिविधियों से नगरों में लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए । स्वतन्त्रता के पश्चात् सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत आर्थिक गतिविधियों एवं बहुमुखी विकास के फलस्वरूप लघु एवं मध्य दर्जे के कस्बों का विकास हुआ । विकास की तीव्र प्रवृत्ति के फलस्वरूप नगर नियोजकों ने नगरों के सुनियोजित विकास एवं भीड़-भाड़ जैसी विकट समस्याओं के निराकरण हेतु नगरों के मास्टर प्लान तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गयी ।

भौतिक एवं प्रादेशिक नियोजन एक ऐसी पद्धति है जो नगर के भावी आकार, स्वरूप, प्रतिरूप एवं इसके विकास की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय करने का प्रयास करती है और इन निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु समुचित तन्त्र की संरचना करती है ।

नियोजन की भाषा में इस प्रकार की संरचना को मास्टर प्लान कहा जाता है । मास्टर प्लान नगर के भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों एवं सिद्धान्तों का एवं लिखित एवं मानचित्रित विवरण है । इसमें भू-उपयोग योजना के अलावा अन्य मानचित्र भी होते हैं । प्रस्तावित भू-उपयोग योजना इन नीतियों एवं सिद्धान्तों को विस्तार से लागू करने की विधि है । नगर की सुगम यातायात व्यवस्था एवं विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के वितरण को भी दर्शाता है । मास्टर प्लान नगर के प्रशासन और जनता को निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है । प्रत्येक नगर की अपनी कुछ विशेषताएँ होती हैं, जिन्हें सुरक्षित बनाये रखने की जन साधारण की प्रबल आंकाक्षा होती है । अतः कतिपय मान्यताएँ निर्धारित

करके, उद्देश्यों के सन्दर्भ में, नियोजन के सिद्धान्तों को विकसित किया जाता है । इन बिन्दुओं को ध्यान में रखकर, मास्टर प्लान तैयार किया जाता है । आबूरोड़, नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया में इन सभी पहलुओं पर गौर कर एक समेकित योजना तैयार करने का प्रयास किया गया है ।

3.1 नियोजन का आधार

आबूरोड़ रोड का मास्टर प्लान वर्ष 2005–2025 बनाने के लिए विभिन्न विभागों से आंकड़ों का संकलन कर एवं विद्यमान भू उपयोग का सर्वेक्षण उपरान्त उनका अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है। उन विश्लेषणों के उपरान्त एवं नियोजन की नीतियों को ध्यान में रखते हुए आबू रोड के भावी सुनियोजित विकास हेतु निम्नांकित आधारों को दृष्टिगत रखा गया है।

1. आबूरोड़ को रीको द्वारा ग्रोथ सेंटर के रूप में चयनित कर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है जिसका नगर से अन्तरसम्बन्ध इस प्रकार किया जाना है कि नगरीय रूप में उसका उपयोग हो सके ।
2. वाणिज्यिक गतिविधियों के प्रस्तावित वितरण केन्द्र तथा पुराने शहर में जनसंख्या के दबाव को कम करने के उद्देश्य से नये वाणिज्यिक केन्द्रों का आवासीय क्षेत्रों के पास ही समुचित विकास किया जाना चाहिए । थोक व्यापार के लिए पृथक व्यवस्था की जानी चाहिए ।
3. सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय संगठित क्षेत्र में ही स्थापित होने चाहिए । तथा पर्याप्त भूमि उक्त प्रयोजनार्थ आरक्षित की जानी चाहिए ।
4. आवासीय घनत्व की विषमता को कम किया जाना चाहिए । नये आवासीय क्षेत्रों एवं कार्यस्थलों का समुचित विकास मूल आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए ताकि पुराने शहर के निवासी बाहरी क्षेत्रों में निवास हेतु प्रोत्साहित हो सके । तथा पष्य क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध हो सके ।
5. भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में उच्च तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के लिए प्लान में, स्थलों का आरक्षण किया जाना चाहिए ।
6. सामुदायिक एवं जनोपयोगी सुविधाओं का समुचित विकास किया जाना चाहिए ।

7. विरासत के रूप में विद्यमान ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के संरक्षण एवं विकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि नगर की परम्परागत सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट होने से बचाया जा सके ।
8. नगर के यातायात आवृत्ति की कुशल व्यवस्था विकसित की जावे जो भू-उपयोग योजना के अनुरूप हो । इस हेतु बस स्टेण्ड एवं माल गोदाम, लदान के स्थलों का विकास उचित क्षेत्रों में ही किया जाना चाहिए ।
9. नगर की परिधि पर किसी प्रकार के अव्यवस्थित विकास को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से नगरीयकरण योग्य सीमाओं के चारों ओर एक परिधि नियन्त्रण पट्टी निर्धारित की गयी है । इस पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों का नियन्त्रित परन्तु सीमित नियोजित विकास का प्रावधान होना चाहिए ।

आबूरोड़ का मास्टर प्लान यहाँ के लोगों की भावी आवश्यकताओं एवं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है । मास्टर प्लान का प्रारूप विभागीय नीति एवं जनहित में मार्गदर्शन के रूप में आगामी 20 वर्षों के लिए तैयार किया गया है । यह प्लान सन् 2005 के आँकड़ों एवं सूचनाओं पर आधारित है । इसका क्षितिज वर्ष 2025 है । अतः यह एक दीर्घकालीन योजना है जो भविष्य की अनुमानित आवश्यकताओं के सन्तुलित एवं समग्र विकास का अभिनव प्रयास है । यह प्लान राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के प्रावधान के तहत तैयार किया गया है तथा राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् यह एक वैधानिक दस्तावेज बन जाता है ।

4

भावी आकार

भावी आकार

4.1 जनांकिकी

1991 की जनगणना के अनुसार आबूरोड़ कस्बे की जनसंख्या 39,802 तथा वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार जनसंख्या 47,623 थी । 1981 – 1991 के दशक में वृद्धिदर 27.24 प्रतिशत रही । आबूरोड़ नगर के समीप स्थित 9 ग्राम नगरीयकृत क्षेत्र में सम्मिलित हो गये हैं, परन्तु नगर पालिका सीमा का विस्तार नहीं होने के कारण उनकी जनसंख्या को नगर की जनसंख्या में सम्मिलित नहीं किया गया है । जनगणना 2001 में नगर के आस-पास स्थित 9 ग्रामों की जनसंख्या 15,000 है जो नगरीय जनसंख्या ही है । इस प्रकार वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आबूरोड़ के नगरीयकृत क्षेत्र की जनसंख्या 62,623 है । आबूरोड़ पर निर्माण पर नियन्त्रण एवं उक्त क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने की सम्भावनाओं के आधार पर आबूरोड़ में पर्यटन का विकास तीव्र गति से होगा तथा कई होटल्स एवं पर्यटक सुविधाएँ स्थापित होगी । इसके साथ-साथ स्थानीय प्रकृति के संसाधनों की उपलब्धता के कारण यहाँ औद्योगिक विकास की प्रबल सम्भावना है । अतः यह अनुमान लगाया गया है कि योजना अवधि वर्ष 2025 तक लघु औद्योगिक केन्द्र की एवं ग्रामीण अधिवासों सहित कस्बे की जनसंख्या लगभग 1,30,000 हो जाने का अनुमान है । जनसंख्या वृद्धि के अनुमान लगाते समय प्राकृतिक वृद्धि एवं अन्य कारणों को ध्यान में रखा गया है । जनसंख्या प्रवास का आंकलन करते समय नगर की अर्थव्यवस्था विशेषकर पर्यटन की भावी सम्भावनाओं को भी ध्यान में रखा गया है । आबूरोड़ में रीको द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक वृद्धि केन्द्र विकसित किये जाने के कारण कस्बे में औद्योगिक ईकाइयों में और अधिक वृद्धि होने की सम्भावनाएँ हैं, तथा श्रमिकों की संख्या में भी वृद्धि होगी । औद्योगिक वृद्धि एवं विस्तार के लिए कस्बे के दक्षिण में पालनपुर सड़क के सहारे-सहारे चन्द्रावती एवं मावल में रीकों द्वारा विकसित किया जा रहा है । यहाँ श्रमिकों की अनुमानित संख्या 15 हजार आँकी गयी है, जो आबूरोड़ कस्बे में ही निवास करेगी । ग्रामीण अधिवासों की जनसंख्या लगभग 15,000 हो जाने का अनुमान है । तालिका संख्या 10 में प्रक्षेपित जनसंख्या को दर्शाया गया है :-

तालिका – 10
जनसंख्या वृद्धि, प्रवृत्ति एवं अनुमान, आबूरोड़, 1981 – 2025

वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि दर प्रतिशत
1981	31,280	—
1991	39,802	27.24
2001	47,623	19.65
2011	65,000*	36.44
2021	85,000*	36.76
2025	10,0000*	17.65
औद्योगिक वृद्धि केन्द्र एवं ग्रामीण अधिवासों की अतिरिक्त जनसंख्या	30,000*	—
कुल जनसंख्या	1,30,000	—

स्रोत :- भारत की जनगणना, एवं विभागीय अनुमान
(*अनुमानित जनसंख्या)

4.2 व्यवसायिक संरचना :-

1991 की जनगणना में आबूरोड़ की जनसंख्या 39,802 थी तथा सहभागिता का अनुपात 28.13 प्रतिशत था, अर्थात् 11,196 कामगार थे । 2001 की जनगणना अनुसार जनसंख्या 47,623 थी तथा सहभागिता अनुपात 27.86 प्रतिशत था अर्थात् कुल कामगार 13,270 थे । योजना अवधि तक कस्बे की जनसंख्या लगभग 1,30,000 हो जायेगी । इस जनसंख्या में से 41,600 कामगार होने की सम्भावना है तथा कुल संख्या से सहभागिता का अनुपात 32 प्रतिशत रहेगा । ऐसा अनुमान है कि योजना अवधि में नगरीय गतिविधियों के बढ़ने से कृषि एवं इससे सम्बन्धित व्यवसायों में लगे कामगारों का प्रतिशत घटेगा । आबूरोड़ मुख्यतः औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कस्बा है तथा भविष्य में भी इसकी यह विशेषता बनी रहने के साथ-साथ पर्यटन विकास की सम्भावनाएँ हैं । उद्योग श्रेणी में लगे कामगारों का प्रतिशत 31.50 प्रतिशत से बढ़कर 33 प्रतिशत हो जाने की सम्भावना है । इसी तरह व्यापार एवं वाणिज्यिक श्रेणी में 19.50 से बढ़कर 21 प्रतिशत कामगार होंगे । निर्माण श्रेणी में लगे कामगारों का प्रतिशत 3.50 प्रतिशत से बढ़कर 5 प्रतिशत हो जायेगा तथा अन्य सेवाओं में कामगारों का

प्रतिशत 14.75 प्रतिशत रहेगा । निम्न तालिका संख्या 11 में तुलनात्मक व्यवसायिक संरचना को दर्शाया गया है :-

तालिका 11
व्यावसायिक संरचना, आबूरोड़ – 2025

क्रम संख्या	व्यावसाय	2001		2025	
		कामगारों की संख्या	प्रतिशत	कामगारों की संख्या	प्रतिशत
1	कृषि और कृषि सम्बन्ध कार्य एवं खनन सम्बन्धी कार्य	186	1.40	520	1.25
2	उद्योग	4,180	31.50	13,728	33.00
3	व्यापार एवं वाणिज्य	2,588	19.50	8,736	21.00
4	निर्माण	464	3.50	2,080	5.00
5	परिवहन एवं संचार	3,185	24.00	10,400	25.00
6	अन्य सेवाएँ	2,667	20.10	6,136	14.75
	कुल योग	13,270	100.00	41,600	100.00

स्रोत :- नगर नियोजन विभागीय अनुमान ।

4.3 नगरीय क्षेत्र

आबूरोड़ कस्बे का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत आबूरोड़ नगर सहित 25 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए दिनांक 24 जनवरी, 2003 को एक अधिसूचना जारी कर इसका नगरीय क्षेत्र घोषित किया है। तत्पश्चात् उक्त अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में -2 राजस्व ग्राम और सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप इसके नगरीय क्षेत्र में आबूरोड़ सहित कुल 27 राजस्व ग्राम हो गये हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 39,300 एकड़ है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर अनियोजित विकास को नियन्त्रित करने, पर्यावरण संरक्षण एवं कृषि को महत्व देने की दृष्टि से परिधि नियन्त्रण क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। आबूरोड़ के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र को चार योजना परिक्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र

सन् 1991 की जनगणना में कस्बे की जनसंख्या 39,802 एवं 2001 में इसकी जनसंख्या 47,623 थी तथा कस्बे के समीप स्थित 9 ग्रामों की जनसंख्या 2001 में 15,000 थी जो नगरीयकृत क्षेत्र का ही भाग है। मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2025 तक आबूरोड़ की जनसंख्या लगभग 1,30,000 हो जाने का अनुमान है। योजना अवधि तक लगभग 70,000 अतिरिक्त जनसंख्या जुड़ेगी। इस अतिरिक्त जनसंख्या के आवास एवं विभिन्न उपयोगों हेतु 5,713 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी। मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2025 तक 7,988 एकड़ क्षेत्र विकास योग्य एवं 8,552 एकड़ क्षेत्र नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया गया है। कस्बे की भावी सभी तरह की नगरीय गतिविधियाँ, नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के अन्दर ही प्रस्तावित की गयी है। इनको नियन्त्रित करने के उद्देश्य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियन्त्रण क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। कस्बे के विद्यमान स्वरूप का अध्ययन करने के पश्चात् इसका भावी विकास एवं विस्तार उत्तर एवं दक्षिण में राष्ट्रीय राजमार्ग के सहारे-सहारे तथा ग्रोथ सेन्टर के आस-पास में होने की प्रबल सम्भावना है। कस्बे के पश्चिमी भाग में बनास नदी एवं पूर्वी भाग

में पहाड़ियाँ अवस्थित होने के कारण इन दिशाओं में इसके विस्तार की कम सम्भावना है। भूमि की उपयुक्तता, उपलब्धता एवं भौतिक अवरुद्धता को दृष्टिगत रखते हुए कस्बे का नगरीयकरण योग्य क्षेत्र निर्धारित किया गया है।

4.5 योजना परिक्षेत्र

आबूरोड़ के समन्वित, व्यवस्थित एवं संतुलित विकास, सुधार, सौन्दर्यकरण व पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से शहर के नगरीय क्षेत्र को 4 योजना परिक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। योजना परिक्षेत्रों का निर्धारण सीमांकन करते समय यहाँ के भौतिक स्वरूप (Physical Feature) विकास के प्रतिरूप, विकास की दिशा, निर्धारित सीमा से बाहर नगरीय गतिविधियों पर अंकुश आदि पहलुओं को ध्यान में रख कर ही किया गया है, जिसमें शहर के मध्य स्थित बनास नदी, जल प्रवाह प्रणाली, पूर्व एवं पश्चिम दिशाओं में स्थित पहाड़ी क्षेत्र एवं उसके कारण नगर का रेखांकित विकास, रीको द्वारा दक्षिण दिशा में विकसित किये गये औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर आदि को दृष्टिगत रखा गया है। प्रत्येक योजना परिक्षेत्र की सीमा को नगरीय क्षेत्र मानचित्र में रेखांकित किया गया है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में स्थित प्रत्येक योजना परिक्षेत्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों अर्थात्, नगर स्तरीय आवश्यकताओं, सुविधाओं की दृष्टि से परिपूर्ण एवं आत्मनिर्भर होगा। बनास नदी के उत्तरी भाग को तलहटी योजना परिक्षेत्र, दक्षिणी भाग को शहरी योजना परिक्षेत्र, रीको द्वारा विकसित किये गये औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर को मावल योजना परिक्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की बाहरी सीमा के चारों ओर अधिसूचित नगरीय क्षेत्र तक परिधि नियन्त्रण पट्टी परिक्षेत्र दर्शाया गया है। योजना अवधि में विभिन्न नगरीय गतिविधियों को नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में ही सीमित रखने कृषि कार्यो को बढ़ावा देने एवं पर्यावरण संरक्षण में परिधि नियन्त्रण पट्टी परिक्षेत्र की महती आवश्यकता है। नगरीय क्षेत्र मानचित्र में अधिसूचित 27 राजस्व ग्रामों की सीमा, वर्तमान नगरीयकृत क्षेत्र की सीमा व योजना अवधि में नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की सीमा को दर्शाया गया है। योजना परिक्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है :-

तालिका – 12
योजना परिक्षेत्र, आबूरोड़ – 2025

क्रम संख्या	योजना परिक्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)	अनुमानित जनसंख्या
अ.	शहरी योजना परिक्षेत्र	4,300	70,000
ब.	तलहटी योजना परिक्षेत्र	3,140	45,000
स.	मावल योजना परिक्षेत्र	1,112	15,000
द.	परिधि नियन्त्रण पट्टी परिक्षेत्र	30,748	—
	कुल नगरीय क्षेत्र	39,300	1,30,000

अ. शहरी योजना परिक्षेत्र

शहरी योजना परिक्षेत्र में मुख्यतः वर्तमान में स्थित शहरी क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है । उक्त परिक्षेत्र के उत्तर एवं पश्चिम की सीमा का आधार बनास नदी एवं नगरीकरण योग्य क्षेत्र के सहारे प्रस्तावित मुद्रिका सड़क को माना गया है तथा पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग के सहारे-सहारे हुए विकास को सम्मिलित किया गया है जहाँ भौतिक अवयवों के रूप में पहाड़ी क्षेत्र है उक्त योजना परिक्षेत्र में नगर की लगभग सम्पूर्ण गतिविधियाँ संचालित की जा रही है । इस परिक्षेत्र में रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, प्रशासनिक भवन, मुख्य बाजार, प्रमुख शिक्षण संस्थान आदि सम्मिलित है । उक्त परियोजना क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा विकसित योजनाएँ, रीको द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के सहारे-सहारे विकसित क्षेत्र भी सम्मिलित है । नये प्रस्तावों के रूप में उक्त योजना परिक्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज, उत्तर में राष्ट्रीय राजमार्ग के सहारे-सहारे कृषि उपज मण्डी समिति, यातायात नगर, पशु चिकित्सालय, राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय कार्यालयों हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये है । अम्बाजी जाने वाली सड़क पर ग्रामीण बस स्टेण्ड का प्रावधान किया गया है । उक्त परिक्षेत्र में नगर के पश्चिमी भाग में प्रस्तावित मुद्रिका सड़क (सरकूलर रोड) तक आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किये गये है, जिसमें सामुदायिक सुविधाओं का प्रावधान किया गया है । उक्त परिक्षेत्र में नगर के सामान्य अस्पताल एवं स्टेडियम हेतु प्रावधान किये गये है । इस योजना परिक्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 4,300 एकड़ होगा । जिसमें 70,000 जनसंख्या निवास कर सकेगी ।

ब. तलहटी योजना परिक्षेत्र

यह परिक्षेत्र बनास नदी के उत्तर में स्थित है, जिसका विस्तार सिरोही रोड़ पर आमथला ग्राम, तथा मण्डार रोड़ पर नाले तक रखा गया है । उक्त परिक्षेत्र में तलहटी चौराहा प्रमुख स्थल है । जहाँ से आबूपर्वत जाने वाला समस्त यातायात गुजरता है । उक्त चौराहा एक प्रमुख स्थल के रूप में विकसित हो रहा है । उक्त चौराहे पर आबूरोड़ का प्रमुख उद्योग मार्टन इन्सूलेशन स्थित है । उक्त परिक्षेत्र में नवीन रूप में विकास हो रहा है, उक्त परिक्षेत्र में हवाई पट्टी स्थित होने के साथ-साथ ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कई संस्थान विकसित हुए हैं, उक्त परिक्षेत्र में बस स्टेण्ड, कॉलेज, विद्यालय, अस्पताल, पार्क, जनउपयोगी सुविधा, व्यावसायिक सुविधा केन्द्र जिला केन्द्र, होटल जोन, पर्यटक सुविधा केन्द्र एवं प्रादेशिक उद्यान प्रस्तावित किया गया है । यहाँ विद्यमान हवाई पट्टी के चारों ओर वृक्षारोपण का प्रावधान रखा गया है । इस क्षेत्र में पर्याप्त आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित करते हुए सुविधा क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है । उक्त योजना परिक्षेत्र का क्षेत्रफल 3140 एकड़ है । जिसमें 45,000 जनसंख्या निवास कर सकेगी ।

स. मावल योजना परिक्षेत्र

यह योजना परिक्षेत्र नगर के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में स्थित है । जिसकी उत्तरी सीमा रेलवे लाईन, दक्षिणी सीमा रीको का औद्योगिक क्षेत्र पूर्वी सीमा प्रमुख बरसाती नाला, दक्षिणी सीमा गुजरात राज्य की सीमा है । यहाँ पर रीको द्वारा औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर विकसित किया गया है । उक्त परिक्षेत्र में पर्याप्त आवासीय क्षेत्र रखा गया है उक्त परिक्षेत्र में रीको औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर में औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित नहीं हुई हैं अतः मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2025 तक आबूरोड़ के औद्योगिक नगर के रूप में विकसित होने के लिए पर्याप्त स्थल उपलब्ध हो सकेगा । उक्त परिक्षेत्र में मावल रेलवे स्टेशन है, इस परिक्षेत्र में यातायात नगर, उद्यान, चिकित्सालय, व्यावसायिक केन्द्र एवं जनोपयोगी सुविधाओं के लिए स्थलों का प्रावधान किया गया है । यातायात नगर के चारों ओर वृक्षारोपण पट्टी विकसित किया जाना प्रस्तावित है । इस परिक्षेत्र में प्रमुखतया औद्योगिक इकाईयाँ होंगी तथा श्रमिकों के लिए आवास क्षेत्र के साथ-साथ सार्वजनिक सुविधाओं का प्रावधान किया गया है । उक्त योजना परिक्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 1112 एकड़ है, जिसमें 15,000 जनसंख्या निवास कर सकेगी ।

द. परिधि नियन्त्रण पट्टी :-

मास्टर प्लान में नगरीकरण योग्य क्षेत्र के चारों तरफ अधिसूचित नगरीय क्षेत्र तक परिधि नियंत्रण पट्टी का प्रावधान किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 30748 एकड़ है। उल्लेखनीय है कि परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित करने से पूर्व नगरीकरण योग्य क्षेत्र के फैलाव की सीमा का निर्धारण वर्ष 2025 तक की आवश्यकताओं, समुचित घनत्व एवं एकीकृत विकास की अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए वृहद् तकनीकी अध्ययन के आधार पर किया गया है। नगरीकरण योग्य क्षेत्र की सीमा निर्धारण के पश्चात ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि नगरीकरण योग्य क्षेत्र का असंगत रूप से फैलाव न हो, नगरीकरण योग्य क्षेत्र के चारों तरफ परिधि नियंत्रण पट्टी का प्रस्ताव किया गया है।

5

भू-उपयोग योजना

भू-उपयोग योजना

नियोजन की नीतियों एवं सिद्धान्तों के अनुसार शहर की भू उपयोग योजना तैयार की गयी है । नगरीय भूमि एक महत्वपूर्ण सीमित संसाधन है, अतः भू-उपयोगों का निर्धारण करते वक्त नागरिकों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की सन्तुष्टि के साथ-साथ शहर के नियोजित, सन्तुलित एवं समन्वित विकास के लक्ष्य रखे गये हैं । शहर के भौतिक स्वरूप, जनसंख्या, नगरीय क्षेत्रफल, वर्तमान एवं सम्भावित माननीय गतिविधियों, विकास की दिशाओं, और विभिन्न सर्वेक्षण आंकड़ों के अध्ययन, विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार पर व नियोजन के मापदण्डों को दृष्टिगत रखते हुए भिन्न-भिन्न प्रयोजनार्थ भू-उपयोग दर्शाये गये हैं । निम्नलिखित तालिका संख्या 13 में प्रस्तावित भू-उपयोग के प्रतिरूप को दर्शाती है :-

तालिका - 13
प्रस्तावित भू-उपयोग, आबूरोड़ 2025

क्रम संख्या	भू उपयोग	क्षेत्रफल एकड में	विकास योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	3,267	40.85	38.20
2.	वाणिज्यिक	568	7.10	06.64
3.	औद्योगिक	1,103	13.79	12.89
4.	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी	78	0.97	00.91
5.	आमोद-प्रमोद	937	11.72	10.96
6.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	1,058	13.23	12.37
7.	परिसंचरण	987	12.34	11.54
	कुल विकास योग्य क्षेत्र	7,998	100.00	—
8.	नाला, नदियाँ	230		2.69
9.	वृक्षारोपण	324		3.80
	कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	8,552		100.00

5.1 आवासीय :-

भू- उपयोग योजना में आवासीय प्रबन्धन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । इसके परिमाणात्मक पहलू के साथ-साथ गुणात्मक पहलू पर भी गम्भीर रूप से ध्यान दिया गया है ताकि नागरिकों को स्वस्थ आवासीय वातावरण एवं शुद्ध पर्यावरण मिले तथा कार्यगृहों, आमोद-प्रमोद व सार्वजनिक स्थलों तक पहुँच कम समय में सरल एवं सुगम हो । योजना अनुसार लोगों को आवासीय बस्तियों के निकट ही दिन प्रतिदिन की लोकोपयोगी सेवाएँ और सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेगी । आबूरोड़ की वर्ष 2025 तक की अनुमानित जनसंख्या 1,30,000 के आवास हेतु 3267 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है, जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 40.85 प्रतिशत है । यहाँ के आवासीय घनत्व को युक्तिसंगत रूप से 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है । पुराने शहर का आवासीय घनत्व 80 व्यक्ति प्रति एकड़ एवं इससे अधिक माना गया है। नीतिगत रूप से नये क्षेत्रों में 50 व्यक्ति प्रति एकड़ आवासीय घनत्व के नये आवासीय क्षेत्र विकसित किये जायेंगे, जो आधारभूत सुविधाओं से परिपूर्ण होंगे । जिससे शहर के भीतरी भागों पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव थमेगा । जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि (Natural Growth) व आप्रवास (Migration) से आबूरोड़ की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जिन्हें नियोजित क्षेत्रों में आवास सुविधा उपलब्ध हो सकेगी ।

5.1 (1) आवासन

नियोजन का दर्शन उस समग्र नगरीय संकुल को अपने अन्दर समेट लेता है जो अनेकों अपेक्षाकृत स्वयं पूर्ण समुदायों/सहतों से बना हुआ होता है। समीपता, निकटवर्ती रेखाएं, सामाजिक और पारिवारिक सम्पर्क आदि को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ फोकस बिन्दु जैसे प्राथमिक विद्यालय, सुविधाजनक दुकानें एवं उद्यान आदि के आस पास अनेकों सहतों को एकीकृत समूह के रूप में विकसित किया जाता है ताकि यह समूल 3,000 से 5,000 जनसंख्या को समाने वाली एक योजना इकाई बने। इस प्रकार की 4 से 5 योजना इकाईयाँ मिलकर एक आवासीय योजना क्षेत्र का स्वरूप ग्रहण करेगी जिसकी जनसंख्या 15,000-20,000 होगी । ऐसे प्रत्येक योजना क्षेत्र को एक माध्यमिक विद्यालय, स्थानीय शॉपिंग सेन्टर, सार्वजनिक उद्यान और अन्य सामुदायिक सुविधाओं से परिपूर्ण किया जायेगा । इस प्रकार आबूरोड़ नगरीय क्षेत्र की 1,30,000 प्रक्षेपित जनसंख्या को विभिन्न योजना क्षेत्रों में बांटा जाकर क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक रूप से समग्र विकास की अवधारणा की गई है।

स्थानीय स्तर की विभिन्न सुविधाएँ जैसे प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, उद्यान, खेल के मैदान, शॉपिंग सेन्टर एवं अन्य सामुदायिक सुविधाएँ मास्टर प्लान में अनुवर्तन कार्यक्रम के रूप में क्षेत्रीय योजनाओं की विस्तार से व्याख्या करते वक्त निर्धारित की जायेगी ।

आवास, समुदाय की एक प्राथमिक आवश्यकता है और इसके अन्तर्गत सर्वाधिक नगरीय भूमि की आवश्यकता होती है । यह प्रस्तावित किया जाता है कि नगर पालिका मण्डल आवास परियोजना तैयार कर नागरिकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करावें और आवासीय योजना बनाकर भूखण्डों की बिक्री की जावे । विशेषरूप से समाज के कमजोर वर्गों को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करावे तथा योजना में विकास कार्य करावे ताकि व्यवस्थित क्रम से लोगों की आवास की मांग को पूरा किया जा सके । राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भी विभिन्न श्रेणी के आवासों का निर्माण करवाया जावेगा । रीको द्वारा भी औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवासीय परियोजना प्रारम्भ की जावें ताकि औद्योगिक क्षेत्रों के समीप कच्ची बस्तियों को बसने से रोका जा सके ।

5.1 (2) इनफोरमल सेक्टर के लिए आवासन :-

शहर के विशिष्ट क्षेत्रों में रख-रखाव और नगरीय नवीनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास का कार्य किया जाना प्रस्तावित है । पुराने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जनसंख्या घनत्व अत्यधिक है तथा पक्की सड़कें, सीवर लाईन, गन्दे पानी के निकास की नालियाँ, पेयजल वितरण व्यवस्था, रोशनी व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, आदि का अभाव है या जीर्ण-शीर्ण अवस्था में या अस्तव्यस्त है, वहाँ पर नगरीय नवीनीकरण कार्यक्रम के तहत विकास के कार्य किये जाने प्रस्तावित है । मार्गाधिकार क्षेत्र में से अतिक्रमणों को हटाया जाना, विद्यमान पाक्र स्थलों को विकसित करने, पर्यावरण संरक्षण एवं सौन्दर्यकरण की आवश्यकता है । शहर को हराभरा बनाने के लिए वृक्षारोपण व उनके देखभाल की आवश्यकता है ।

शहर में कच्ची बस्तियों का बसना एक विकट समस्या है । भविष्य में कच्ची बस्तियों के बसने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए नगर पालिका मण्डल को सुनिश्चित जिम्मेदारी तय करनी होगी । विद्यमान कच्ची बस्तियाँ जिन्हें हटाया जाना सम्भव नहीं है, उनका नियमानुसार नियमन एवं नियोजित ढंग से पुर्नवास किया जावेगा । कच्ची बस्तियों में सुधार कार्यों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जावेगा ।

ऐसी कच्ची बस्तियों के पुनर्वास एवं नियमन से पूर्व वहाँ मौका स्थिति अनुसार यथा सम्भव न्यूनतम मार्गाधिकार उपलब्ध कराने होंगे । अतिरिक्त महत्वपूर्ण स्थलों से कच्ची बस्तियों को जनहित में पुनर्स्थापन किया जाना प्रस्तावित है और शहर के विभिन्न भागों को एक दूसरे से सीधा सम्पकृत करने में आड़े आ रही कच्ची बस्तियों के निवासियों को विस्थापित किया जाना प्रस्तावित है । ऐसी योजना बनाते समय यह प्रयास किया जावेगा कि इससे विस्थापन न्यूनतम हो तथा विस्थापितों को पुनर्वास के साथ-साथ बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध की जानी अपेक्षित है ।

5.2 वाणिज्यिक

आबूरोड़ का पश्चय क्षेत्र काफी विस्तृत है । भविष्य में भी यह औद्योगिक के साथ-साथ वाणिज्यिक गतिविधियों का एक प्रमुख केन्द्र बना रहेगा । यह अनुमान लगाया गया है कि सन् 2025 तक नगर के विभिन्न व्यापार एवं वाणिज्य गतिविधियों में 8736 श्रमिक नियोजित होंगे । अतः इन वाणिज्यिक गतिविधियों को ऐसे युक्तिसंगत ढंग से बांटा जाना उचित है जिससे आवासीय क्षेत्रों से नगर केन्द्र तक अनुवर्ती यातायात को न्यूनतम किया जा सके । उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक पदानुक्रमी क्रम के रूप में वाणिज्यिक क्रियाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

तालिका – 14
प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, आबूरोड़-2025

क्रम संख्या	वाणिज्यिक केन्द्र का नाम	क्षेत्रफल एकड़ में
1.	फुटकर व्यापार एवं सुविधाजनक दुकाने	37
2.	जिला केन्द्र	50
3.	वाणिज्यिक केन्द्र	164
4.	विशिष्ट वर्गीकृत एवं थोक बाजार	120
5.	भण्डार गृह एवं गोदाम	46
6.	होटल जोन	151
	योग	568

5.2 (1) फुटकर व्यापार एवं सुविधाजनक दुकानें

आबूरोड़ सिरोही जिले का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केन्द्र है, नगर की मुख्य गतिविधियाँ पुराने शहर में केन्द्रित है, व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियाँ पुराने शहर में मुख्यतया रेलवे स्टेशन, नगर पालिका, बनास नदी के पूर्व, पुराना बस स्टेण्ड, मुख्य सड़कों के आस-पास संचालित है । यहाँ वाणिज्यिक दैनिक गतिविधियाँ अत्यधिक सघन क्षेत्र में स्थित होने से ओर अधिक विस्तार की सम्भावना नहीं है । अतः यह क्षेत्र शहरी केन्द्र के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान करता रहेगा तथा यह शहर का मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र बना रहेगा। अर्से से शहर के भीतर सड़क भाग में फल एवं सब्जी व्यापार की गतिविधियाँ संचालित है । अतः उसके आस-पास नगर पालिका भूमि/खाँचा भूमि चिह्नित की जाकर तदानुसार विकास कर इन गतिविधियों को व्यवस्थित किया जाना प्रस्तावित है ।

5.2 (2) जिला केन्द्र

आबूरोड़ में खुदरा व्यापार को विकेन्द्रित करने की दृष्टि से तलहटी परिक्षेत्र में तलहटी एवं प्रस्तावित आर्टिरियल रोड़ के मध्य जिला केन्द्र का प्रावधान रखा गया है । जिसके लिए लगभग 50 एकड़ भूमि प्रावधानित की गयी है । इस केन्द्र में खुदरा दुकाने, जलपान गृह, डाकघर, पुलिस स्टेशन/पुलिस चौकी, पेट्रोल पम्प, मल्टी प्लेक्स, वाणिज्यिक परिसर होटल, बैंक व्यावसायिक संस्थान तथा अन्य सामुदायिक सुविधाएँ आदि विकसित की जा सकेगी । प्रस्तावित जिला केन्द्र पर व्यक्तियों की सभी मूलभूत व सामुदायिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जा सकेगी तथा भविष्य में अनुमानित जनसंख्या के अनुरूप क्षेत्रों का विकास किया जायेगा यह जिला केन्द्र शहर वासियों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम होगा ।

5.2 (3) व्यावसायिक केन्द्र

शहर के विस्तार एवं व्यावसायिक गतिविधियों को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक केन्द्रों के प्रस्ताव किये गये है । ये प्रत्येक 10,000 से 20,000 जनसंख्या को अपनी सेवाएँ प्रदान कर सकेंगे । इनमें विभिन्न प्रकार की दुकाने, सर्विस केन्द्र, डाकघर, सामुदायिक भवन आदि स्थापित किये जाने के प्रावधान है ।

आवासीय सेक्टर में योजना बनाते समय स्थानीय केन्द्र उपयुक्त स्थल पर प्रस्तावित किये जायेंगे । सभी स्थानीय व्यावसायिक केन्द्रों को समन्वित योजना बनाते समय योजना प्लान के मानचित्र में समायोजित कर दिये जायेंगे । जिससे इसका समयबद्ध विकास हो सके ।

5.2 (4) विशिष्ट वर्गीकृत एवं थोक बाजार

कृषि उत्पादों, निर्माण सामग्री, फल एवं सब्जी आदि के लिए विशिष्ट और थोक व्यापार बाजारों की स्थापना हेतु भूमि की सम्भावित आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से यह प्रस्तावित किया गया है कि ऐसे क्षेत्र युक्तिसंगत और पर्याप्त संख्या में प्रदान किये जाय और उनकी स्थापना ऐसे सुविधाजनक स्थलों पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की जाय कि उनमें वस्तुओं का लदान बड़े पैमाने पर होगा और उनकी वजह से भारी यातायात दबाव की सम्भावनाएँ प्रबल होंगी । अतः थोक व्यापार के लिए बाईपास सड़क पर (राष्ट्रीय राजमार्ग) पर लगभग 120 एकड़ भूमि कृषि उपज मण्डी समिति के निर्माण हेतु प्रस्तावित की गयी है, इसमें फल एवं सब्जी मण्डी भी विकसित की जावेगी ।

5.2 (5) भण्डारण एवं गोदाम

शहर के वर्तमान वाणिज्यिक, एवं औद्योगिक गतिविधियों एवं इनमें वृद्धि की भावी सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वस्तुओं के रख-रखाव एवं भण्डारण हेतु उपयुक्त स्थलों पर भण्डार गृह एवं गोदाम प्रस्तावित किये गये हैं । उक्त स्थलों को भू-उपयोग मानचित्र में अंकित किया गया है । इन्हे सम्पर्क मार्गों पर सामान एवं सेवाओं के स्वच्छन्द संकलन व वितरण की सुविधाओं हेतु रखा गया है । उक्त प्रयोजनार्थ कुल 46 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है । कृषि उत्पादन के भण्डार परिधि नियन्त्रण पट्टी में भी अनुज्ञेय होंगे, जिसका निर्धारण आवश्यकतानुसार माँग के सन्दर्भ में नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जा सकेगा ।

5.2 (6) होटल जोन

आबूरोड़ शहर, विश्व प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल आबू पर्वत का प्रवेश द्वार है । आबू पर्वत जाने वाले पर्यटकों को आबूरोड़ से ही जाना होता है । आबू पर्वत की तरह अम्बाजी, के सामिप्य का लाभ भी आबूरोड़ को प्राप्त है, जो धार्मिक आस्था का केन्द्र बिन्दु है । इन दोनों पर्यटक स्थलों पर

प्रवास करने वाले देशी/विदेशी पर्यटकों का निरन्तर आवागमन रहता है । उक्त स्थानों पर पर्यटकों का दबाव अधिक होने पर सामान्यतया पर्यटक आबूरोड़ पर प्रवास करते हैं । यहाँ रेल एवं सड़क यातायात की माकूल व्यवस्था है । पर्यटकों की आवाजाही से स्थानीय अर्थव्यवस्था सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है । टूर एवं ट्रेवल्स तथा होटल व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलता है । विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आबूपर्वत में निर्माण गतिवधियों पर रोक लगाने एवं सेन्चुरी घोषित करने से आबूरोड़ का पर्यटन के क्षेत्र में विशेष महत्व बढ़ जायेगा तथा यहाँ पर्यटकों का दबाव बना रहेगा । उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आबूरोड़ में पर्यटकों के ठहरने की उचित सुविधाएँ मुहैया कराने के उद्देश्य से तलहटी परिक्षेत्र में होटल जोन के लिए 151 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है । पर्यटन संकूलन में होटल, पर्यटन कॉटेज, कैम्पींग साईट, जलपान ग्रह, पर्यटक सूचना केन्द्र, बैंक, विशेष प्रकार के शो रुम्स आदि सुविधाओं का प्रावधान किया जाना है । उक्त क्षेत्र के अलावा शहरी परिक्षेत्र में लगभग 45 एकड़ भूमि व तलहटी परिक्षेत्र में 117 एकड़ भूमि का पर्यटक सुविधा क्षेत्र के लिए प्रावधान किया गया है ।

5.3 औद्योगिक

आबूरोड़, सिरोही जिले का महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र है । इसके पश्चिम क्षेत्र में खनिज पदार्थों के विपुल भण्डार होने एवं राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन के फलस्वरूप यहाँ पर भविष्य में औद्योगिक विस्तार की प्रबल सम्भावनाएँ हैं । इस पहलू को दृष्टिगत रखते हुए तलहटी योजना क्षेत्र में स्थित निजी उद्योग क्षेत्र के विस्तार हेतु इसके समीप प्रस्तावित मुख्य सड़क व उप मुख्य सड़क के सहारे औद्योगिक विस्तार हेतु भूमि प्रस्तावित की गयी है । पालनपुर सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग 14) के सहारे वर्तमान रीको औद्योगिक क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम में प्रस्तावित भण्डारण एवं गोदाम स्थल के पास में औद्योगिक विस्तार के लिए भूमि प्रस्तावित की गयी है । रीको द्वारा औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर फेज-प्रथम एवं द्वितीय का विकास एवं विस्तार किया गया है । निजी उद्योग भी विकसित हुए हैं । योजना अवधि तक इस औद्योगिक भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 1103 एकड़ भूमि आयेगी जो कस्बे के कुल प्रस्तावित विकसित क्षेत्रफल का 13.79 प्रतिशत है । वर्तमान में विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों में पत्थर उद्योग (ग्रेनाईट, संगमरमर) इकाइयों की संख्या अधिक है तथा भविष्य में इन इकाइयों की संख्या और बढ़ने की सम्भावनाएँ हैं । इसके फलस्वरूप योजना अवधि तक इस श्रेणी में लगे श्रमिकों की संख्या लगभग 13,728

हो जायेगी जो कुल कामगारों का 33 प्रतिशत है । कस्बे के विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में चल रही औद्योगिक इकाइयों को रीको के नियोजित औद्योगिक क्षेत्र में स्थानान्तरित की जायेगी । नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में चूना एवं ईट भट्टा, स्टोन क्रेशर आदि को लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी । इस तरह की इकाइयों को परिधि नियन्त्रण पट्टी में ही निर्धारित शर्तों के आधार पर लगाने की अनुमति दी जायेगी, जिससे कि इनसे उड़ने वाली मिट्टी एवं धुएँ से शहरी वातावरण प्रदूषित न हो । तालिका-15 में औद्योगिक क्षेत्रों के विवरण को दर्शाया गया है :-

तालिका-15

औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण – आबूरोड़ 2025

क्रम संख्या	औद्योगिक क्षेत्रों का नाम	क्षेत्रफल एकड़ में
1.	अरबूदा औद्योगिक क्षेत्र	89.00
2.	अम्बाजी औद्योगिक क्षेत्र	377.00
3.	इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर फेज-I	111.00
3.	इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर फेज-II	440.00
4.	निजी क्षेत्र	86.00
	योग	1103.00

5.4 राजकीय

5.4 (1) सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय

वर्तमान में इस उपयोग के अन्तर्गत 10.00 एकड़ भूमि आती है जो कस्बे की कुल विकसित क्षेत्र का 0.44 प्रतिशत है । कस्बे के विभिन्न क्षेत्रों में किराये के भवनों में चल रहे सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों को एक संगठित स्थान पर स्थानान्तरित करने एवं भविष्य में खुलने वाले सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के लिए शहरी योजना परिक्षेत्र के पूर्वी भाग में बाई पास सड़क के सहारे प्रस्तावित कृषि उपज मण्डी समिति के पास 68 एकड़ भूमि राजकीय कार्यालयों हेतु प्रस्तावित की गयी है । इस तरह मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2025 तक इस भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 78 एकड़ भूमि प्रावधानित है ।

5.5 आमोद – प्रमोद

सार्वजनिक उद्यान, क्रीड़ा स्थल, पाक्र एवं खुली जगह लोगों के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है । ऐसे स्थल कस्बे में स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उत्पन्न करते हैं । ऐसे स्थलों से लोगों का मनोरंजन होता है । इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए योजना में इन स्थलों का युक्ति संगत वितरण किया गया है । मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2025 तक इस भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल 937 एकड़ भूमि का प्रावधान है ।

5.5 (1) उद्यान एवं खुले स्थल

सार्वजनिक उद्यानों और खुले स्थलों को सामान्य तौर पर किसी नगर के फेफड़ों के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये किसी सीमा तक लोगों के सामाजिक एवं भौतिक स्वास्थ्य का दिग्दर्शन करते हैं । कस्बे में प्रादेशिक स्तर के उद्यान का अभाव है । इस कमी की पूर्ति करने हेतु नगर के उत्तरी पश्चिमी भाग में पहाड़ी के तलहटी में प्रादेशिक उद्यान हेतु लगभग 305 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है । इसके अतिरिक्त विभिन्न योजना परिक्षेत्रों में पाक्र एवं खुली जगहों के लिए उपयुक्त स्थल भू-उपयोग योजना 2025 में दर्शाये गये हैं । औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर के आस-पास में विभिन्न स्थलों पर 65 एकड़ भूमि आमोद-प्रमोद हेतु प्रस्तावित की गयी है । इससे पर्यावरण संरक्षित होगा और विशेष रूप से औद्योगिक श्रमिकों को स्वास्थ्य लाभ एवं मनोरंजन प्राप्त होगा ।

5.5 (2) स्टेडियम एवं खेल के मैदान

विभिन्न खेलों एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन हेतु कस्बे में स्टेडियम का अभाव है । इस कमी को दृष्टिगत रखते हुए बनास पूल के पूर्वी भाग में प्रस्तावित सब आर्टिरियल सड़क के सहारे विद्यमान बाई पास सड़क पर लगभग 26 एकड़ भूमि स्टेडियम के लिए प्रस्तावित की गयी है । इसके अतिरिक्त नगर के विभिन्न भागों में खेल मैदान एवं खुले स्थल आरक्षित किये गये हैं ।

5.5 (3) अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन

स्वास्थ्यवर्धक जीवन के लिए मनोरंजन बहुत आवश्यक है । नगर वासियों को स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध हो, इसके लिए अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन की दृष्टि से योजना परिक्षेत्रों में क्लब, विज्ञान उद्यान, जल उद्यान, आदि

प्रयोजनार्थ पर्याप्त भूमि प्रस्तावित की गयी है । आईटीआई के सामने लगभग 45 एकड़ भूमि उद्यान हेतु प्रस्तावित की गयी है । उक्त क्षेत्र में स्थित तालाब के आस-पास भी लैण्ड स्केपिंग किया जाना प्रस्तावित है ।

5.5 (4) मेला स्थल एवं सौन्दर्यकरण

केसरगंज में स्थित मेला स्थल का सौन्दर्यकरण एवं विकास किया जाना प्रस्तावित है । भू-उपयोग योजना में अम्बाजी सड़क मोड़ से पहले सिरोही सड़क पर लगभग 45 एकड़ भूमि मेला स्थल हेतु प्रस्तावित की गयी है ।

आबूरोड़ की प्राकृतिक छटा निराली है । बादलों को चुमते गगनचुम्बी पहाड़ बड़े मन मोहक एवं सुहावने लगते हैं । इन पहाड़ों की प्राकृतिक वन छटा को बनाये रखा जाना एवं उनका संरक्षक अपेक्षित है । पहाड़ियों एवं प्राकृतिक नदी के आस पास युक्तिसंगत भू-दर्शनीकरण (Land Scaping) किया जाकर विकास किया जाना प्रस्तावित है । आबूरोड़ के समीप स्थित समस्त पहाड़ी क्षेत्र को परस्थितिक संवेदी क्षेत्र (Eco-sensitive Area) के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है । जिस पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाने का प्रावधान है ।

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

योजनाओं के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक सुविधाओं जैसे:- शैक्षणिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अर्द्ध सार्वजनिक एवं जनोपयोगी सुविधाओं आदि को विभिन्न स्तरों में उपलब्ध कराना आवश्यक है । आवासीय घनत्व क्षेत्र विशेष की प्रकृति, भविष्य में विस्तार की सम्भावना और भूमि की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए योजना में इन सुविधाओं का युक्तिसंगत वितरण किया गया है ।

वर्तमान में इस उपयोग के अन्तर्गत 224.00 एकड़ भूमि आती है, जो कस्बे के विद्यमान कुल विकसित क्षेत्रफल का 9.84 प्रतिशत है । योजना अवधि तक इस उपयोग के अन्तर्गत 1058 एकड़ भूमि आयेगी जो कि कुल प्रस्तावित विकास योग्य क्षेत्र का 13.23 प्रतिशत है ।

5.6 (1) शैक्षणिक

मानव सम्भयता के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है । अतः नगर की भावी शैक्षणिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में पर्याप्त भूमि प्रस्तावित की गयी है । तलहटी योजना परिक्षेत्र में सिरोही सड़क व प्रस्तावित आर्टिरियल रोड़ के मध्य महाविद्यालय एवं अन्य शैक्षणिक प्रयोजनार्थ लगभग 224 एकड़ भूमि तथा शहरी परिक्षेत्र में प्रस्तावित रिंग रोड़ पर व्यावसायिक महाविद्यालय (प्रोफेशनल कॉलेज) के लिए लगभग 90 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है । माध्यमिक एवं सीनियर माध्यमिक विद्यालय के लिए तलहटी योजना परिक्षेत्र में चार स्थल और शहरी योजना परिक्षेत्र व मावल योजना परिक्षेत्र में एक एक स्थल प्रस्तावित किये गये है । प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए स्थलों का चयन आवासीय क्षेत्रों की विस्तृत योजनाएँ बनाते समय आवश्यकतानुसार किया जावेगा । सरकार द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा अभिभावकों की शिक्षा के महत्व के प्रति जागृति से विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी । निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2025 शैक्षणिक संरचना को दर्शाया गया है –

तालिका संख्या :- 16

शैक्षणिक संरचना, आबूरोड़ – 2025

क्र. संख्या	विद्यालय स्तर	आयु वर्ग	कुल जनसंख्या से विद्यालय आयु वर्ग के विद्यार्थियों का प्रतिशत	विद्यालय जाने योग्य विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या	आवश्यक अनुमानित विद्यालयों की संख्या
1	प्राथमिक विद्यालय	3-10	19.23	25,000	55
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय	11-13	8.46	12,000	25
3	माध्यमिक एवं सीनियर माध्यमिक विद्यालय	14-17	10.77	13,000	12

5.6 (2) चिकित्सा

वर्तमान में उपलब्ध स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा न तो पर्याप्त एवं न ही सुविधायुक्त है । विद्यमान राजकीय सामान्य चिकित्सालय की जगह के अभाव के कारण इसका विस्तार नहीं किया जा सकता है । इस समस्या के निराकरण हेतु शहरी योजना परिक्षेत्र में बनास पूल के पूर्वी दिशा में प्रस्तावित सब आर्टिरियल सड़क पर 20 एकड़ भूमि सामान्य चिकित्सालय हेतु प्रस्तावित की गयी है । तलहटी योजना परिक्षेत्र में ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिसर के सामने से पूर्वी दिशा में जाने वाली प्रस्तावित सड़कों के मध्य 17 एकड़ भूमि चिकित्सालय के लिए प्रस्तावित की गयी है । इसके अतिरिक्त तलहटी योजना परिक्षेत्र में मण्डार सड़क पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 8 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए एक स्थल मावल परिक्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है । इनके अतिरिक्त भी प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में तलहटी योजना क्षेत्र में सिरोही जाने वाली सड़क दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व दिशा में लगभग 40 एकड़ भूमि चिकित्सा व संबन्धित सुविधाओं हेतु प्रस्तावित की गयी है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तावित कृषि उपज मण्डी के समीप पशु चिकित्सालय हेतु 12 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है।

5.6 (3) सामाजिक/सांस्कृतिक

आबूरोड़ में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए टाउन हाल निर्मित है । जिसका जीर्णोद्धार एवं विस्तार किया जाना प्रस्तावित है । विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन हेतु सामुदायिक भवन, क्लब, ऑडिटेरियम बनाये जाने का मास्टर प्लान में प्रावधान है ।

5.6 (4) धार्मिक/ऐतिहासिक स्थल

आबूरोड़ में विद्यमान धार्मिक, ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थलों के रख रखाव एवं संरक्षण पर यथोचित ध्यान दिया जाना अपेक्षित है । पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण चन्द्रावती ग्राम के संरक्षण की योजना अलग से बनाई जावेगी ।

5.6 (5) अन्य सामुदायिक सुविधाएँ

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य सामुदायिक सुविधाएँ जैसे डाक एवं तारघर, दूर संचार केन्द्र, दूरभाष केन्द्र,

अग्निशमन सेवा केन्द्र, वाचनालय एवं पुस्तकालय, क्लब, पुलिस स्टेशन, सामुदायिक भवन तथा युवा केन्द्र आदि के लिए सभी योजना परिक्षेत्रों में उपयुक्त स्थलों का प्रावधान किया गया है ताकि आवश्यकतानुसार इन स्थलों को विकसित किया जा सके ।

5.6 (6) जनोपयोगी सुविधाएँ

कस्बे में जलापूर्ति, जल-मल निकासी, बिजली एवं सीवरेज व्यवस्था नगर की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं । नगर में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से इन सेवाओं पर अत्यधिक भार बढ़ गया है । समुचित जलापूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति करने हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा एक विस्तृत योजना तैयार की जायेगी । शहरी योजना परिक्षेत्र में बाई पास सड़क पर 56 एकड़ तथा मावल योजना परिक्षेत्र में बरसाती नाले के किनारे जनोपयोगी सुविधा के लिए 35 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है । इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर जनोपयोगी सुविधाओं के लिए स्थल आरक्षित किये गये हैं ।

5.6 (6) अ. जलापूर्ति

कस्बे में वर्तमान में प्रतिदिन 22 लाख लीटर जलापूर्ति की जा रही है, जो मांग के अनुरूप नहीं है । योजना अवधि तक लगभग 130000 जनसंख्या के लिए जलापूर्ति हेतु और नये जल स्रोत विकसित करने होंगे । इस हेतु जलदाय विभाग ने 2011 तक के लिए 289 लाख लीटर की जलप्रदाय योजना तैयार की गयी हैं जिसमें नये जल स्रोत विकसित करना, उच्च जलाशयों एवं सी.डब्ल्यू.आर. का निर्माण पुरानी लाईनों को बदलना आदि कार्य किये जायेंगे । इसी तहर से वर्ष 2025 तक की सम्भावित आबादी के लिए पेयजल जल की समुचित व्यवस्था की जाना प्रस्तावित है । भू-उपयोग योजना-2025 में उच्च जलाशय, सी.डब्ल्यू.आर. पम्पिंग स्टेशन आदि स्थलों को जनोपयोगी स्थलों के रूप में दर्शाया गया है ।

5.6 (6) ब. विद्युत आपूर्ति

कस्बे की जनसंख्या तथा आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होने के साथ विभिन्न क्षेत्रों में उर्जा की मांग भी बढ़ेगी । आबूरोड़ में मुख्य रूप से एक औद्योगिक विस्तार की प्रबल सम्भावना के कारण विद्युत की खपत अधिक होगी । वर्तमान में कस्बे में की जा रही विद्युत आपूर्ति मांग के अनुरूप

नहीं है । भविष्य में मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति बढ़ाने हेतु विद्युत वितरण निगम के द्वारा एक वृहद योजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है, ताकि मांग एवं पूर्ति में अन्तर समाप्त हो ।

5.6 (6) स. जल-मल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन

कस्बे में सीवरेज व्यवस्था नहीं होने से जल-मल का निस्तारण खुली नालियों के जरिये बनास नदी में किया जाता है । कस्बे में सीवरेज व्यवस्था के लिए सम्बन्धित विभाग से विचार-विमर्श कर एक योजना तैयार की जायेगी । कस्बे के दक्षिण-पश्चिम में परिधि नियन्त्रण पट्टी में बनास नदी के समीप दूषित जल परिशोधन संयंत्र एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन के लिए स्थल का चयन किया गया ताकि दूषित जल को परिशोधित कर बनास नदी में निस्तारण किया जा सके, और ठोस कचरा निस्तारण का प्रबन्धन किया जा सके । अतः जलमल निस्तारण एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन के लिए शहर से दूर दक्षिण-पश्चिम में परिधि नियन्त्रण पट्टी में बनास नदी के किनारे 52 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है ।

5.6 (7) श्मशान एवं कब्रिस्तान

कस्बे के विभिन्न भागों में विद्यमान श्मशान/कब्रिस्तान यथावत बने रहेंगे । भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर नये स्थल परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में विकसित किये जा सकेंगे । विद्यमान श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थलों के आस पास वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है ।

5.7 परिसंचरण

5.7 (1) प्रस्तावित यातायात संरचना

एक सुदृढ़ परिसंचरण प्रणाली शहर की आर्थिक संवृद्धि एवं सामाजिक प्रगति की द्योतक होती है । विगत वर्षों में यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में विकास से परिसंचरण क्षेत्र को एक उत्प्रेरक गति मिली है तथा भविष्य में भी यह विशेषता बनी रहेगी । आबूरोड़ अपने पश्चय क्षेत्र में प्रमुख सेवा केन्द्र की भूमिका अदा करता रहेगा और यहाँ पर उद्योग व्यापार एवं वाणिज्य तथा पर्यटन के क्षेत्र में तीव्र विकास होगा । अतः कस्बे में वस्तुओं एवं यात्रियों

के परिवहन एवं आवागमन हेतु एक कुशल परिसंचरण व्यवस्था होनी चाहिए ।

सड़के परिवहन साधनों का एक महत्वपूर्ण अंग है, आबूरोड़ मास्टर प्लान में यातायात योजना को भू-उपयोग योजना में सम्पर्क भाग के रूप में दर्शाया गया है । वर्तमान में इस उपयोग के अन्तर्गत 528 एकड़ क्षेत्र आता है जो कस्बे के विकसित क्षेत्र का 23.20 प्रतिशत है । योजना अवधि तक इस उपयोग के अन्तर्गत 987 एकड़ भूमि आयेगी जो प्रस्तावित विकास योग्य क्षेत्र का 12.34 प्रतिशत है । कस्बे के नगरीयकरण क्षेत्र में प्रस्तावित किये गये कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों एवं आवासीय क्षेत्रों के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित करने, सुगम आवागमन, सुरक्षित यात्री परिवहन एवं माल परिवहन हेतु योजना में श्रृंखलाबद्ध सड़के प्रस्तावित की गयी है, जो जनसाधारण के लिए सुविधाजनक होगी । इससे आबूरोड़ में यातायात सुरक्षित, सुगम, समुचित गति से निर्बाध रूप से संचालित हो सकेगा । तलहटी योजना परिक्षेत्र के पूर्वी भाग में सिरोही सड़क पर बनास नदी के पुल के पास एक आर्टिरियल रोड़ प्रस्तावित की गयी है । जो उत्तर पूर्व में सिरोही सड़क को जोड़ती हुई आबूपर्वत सड़क से मिलान की गयी है । इस प्रस्तावित सड़क से विद्यमान सिरोही सड़क पर यातायात का दबाव कम होगा । एक रिंग रोड़ के रूप में आर्टिरियल रोड़ प्रस्तावित की गयी है, जो विद्यमान बाई पास सड़क से प्रस्तावित कृषि उपज मण्डी समिति स्थल के सहारे-सहारे होते हुए बनास नदी, सिरोही सड़क, ऋषिकेश सड़क, मण्डार सड़क व पुनः नदी को क्रोस करते हुए रीको औद्योगिक क्षेत्र में पालनपुर सड़क से सम्पर्कित होगी । यह प्रस्तावित सड़क शहर के विभिन्न भागों को एक दुसरे से मिलाने में महत्वपूर्ण साबित होगी । ब्रिज से विद्यमान बाई-पास को सीधा सम्पर्कित करने के लिए एक आर्टिरियल सड़क प्रस्तावित की गयी है । आबूरोड़ के उत्तरी-पूर्वी भाग में बरसाती नाले के दक्षिण दिशा में विद्यमान बाई-पास रोड़ को जोधपुर ब्रिज के पास राष्ट्रीय राजमार्ग से सम्पर्कित किया गया है । तथा इस प्रस्तावित सड़क को अन्य विद्यमान सड़कों एवं प्रस्तावित छोटी-छोटी सड़कों से इण्टरलिंक किया गया है । बाई-पास सड़क के पास से बरसाती नाला जो सीनियर सैकण्डरी स्कूल के पास उत्तर पूर्व दिशा में बनास नदी में मिलता है जिसके सहारे-सहारे मुख्य सड़क से मिलान करने हेतु एक सड़क प्रस्तावित की गयी है । डाक बंगला एवं बनास नदी के मध्य विद्यमान मुख्य सड़क से प्रस्तावित रिंग रोड़ को जोड़ने के लिए एक सड़क प्रस्तावित की गयी है, इसकी दिशा उत्तर-पूरब से दक्षिण-पश्चिम की ओर होगी । पालनपुर सड़क पर रेलवे क्रासिंग एवं सातपुर तिराहे के मध्य

से रेलवे लाईन के सहारे-सहारे प्रस्तावित रिंग रोड पर एक सड़क प्रस्तावित की गयी है । इन सड़कों के अलावा योजना में विभिन्न क्षेत्रों में सब आर्टेरियल एवं मुख्य सड़के प्रस्तावित की गयी है । जिससे शहर को एक विस्तृत सड़क प्रतिरूप (Road Net Work) उपलब्ध होगा । सीमावर्ती गांवों को शहर की मुख्य सड़कों से भली भाँति जोड़ा जाना प्रस्तावित है ।

5.7 (1) अ. आंतरिक सड़कों का मार्गाधिकार

शहर में यातायात को सुगम व सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से सड़कों का वर्गीकरण क्रमशः प्रमुख सड़के 160 फीट, उप प्रमुख सड़के 120 फीट, मुख्य सड़के 80 फीट तथा अन्य सड़के 60 फीट चौड़ी प्रस्तावित की गयी है । राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग व बाह्य मार्ग तथा सड़कों का मार्गाधिकार तालिका 17 में दर्शाया गया है :-

तालिका-17

सड़कों का मार्गाधिकार – आबूरोड़ – 2025

क्रम संख्या	सड़क का प्रकार	न्यूनतम मार्गाधिकार (फीट में)
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं बाई-पास	200
2.	प्रमुख मार्ग (आर्टेरियल रोड़)	160
3.	उप प्रमुख मार्ग (सब आर्टेरियल रोड़)	120
4.	मुख्य मार्ग	80
5.	अन्य मुख्य मार्ग	60

5.7 (1) ब. सड़कों का चौड़ा करना एवं उनका सुधार

आर्टेरियल रोड़, सब आर्टेरियल रोड़ एवं मुख्य सड़कों की चौड़ाई के मानदण्ड भू-उपयोग मानचित्र 2025 में दर्शाये अनुसार होंगे । ऐसे स्थानों पर जहाँ सड़कों को चौड़ा करना सम्भव नहीं है, ऐसी स्थिति में नीचे स्तर का मानदण्ड अपनाया जा सकेगा । कस्बे के भीतरी क्षेत्रों की सड़के सँकड़ी एवं भीड़-भाड़ वाली है तथा जगह के अभाव के कारण उनकी चौड़ाई नहीं बढ़ाई जा सकती है ऐसी स्थिति में सड़क सीमा में हुए अतिक्रमणों को हटा कर उन्हें चौड़ा किया जायेगा । यह प्रस्तावित किया गया है कि जहाँ भी आवश्यक हो सड़क अन्तः परिच्छेदों (Road Inter Section) तथा यातायात घुणियों (Traffic Roataries) की पुनः अभिकल्पना की जावेँ ऐसे समस्त प्रस्ताव यातायात प्रबलता (Traffic Volume) एवं संचालन

पेटर्न पर आधारित होंगे । विभिन्न मार्गों का विस्तार चौड़ाकरण एक व्यवस्थित, सरल, सुरक्षित एवं सुगम यातायात प्रणाली के लिए आवश्यक है। वाहनों के खड़े करने हेतु उपयुक्त पार्किंग स्थल भी विकसित किये जायेंगे ।

सिरोही-अहमदाबाद सड़क पर बनास नदी पुल बहुत सँकड़ा है, यातायात दबाव के मद्देनजर इसकी चौड़ाई अपर्याप्त है, जिसको चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है, ताकि वाहनों का बिना रूके सुगमता से आवागमन हो सके ।

कस्बे के पूर्वी भाग में स्थित रेलवे कॉलोनी, गांधी नगर एवं प्रेम नगर आवासीय आदि क्षेत्रों का कस्बे के मुख्य भाग से सुरक्षित एवं निर्बाध रूप से यातायात संचालित हो इस हेतु रेलवे क्रॉसिंग पर उपयुक्त पुल बनाना प्रस्तावित है ।

5.7 (1) स. चौराहों का सुधार

विकसित क्षेत्र में यातायात को स्वतन्त्र रूप से परिसंचरण में जो बाधाएँ आती हैं, उनमें चौराहों का अनुचित आकार, डिजाईन एवं अपर्याप्त चौराहों के निर्माण के कारण भीड़भाड़ तथा यातायात अवरूद्ध होना स्वाभाविक है। अतः चौराहों के सुधार का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, यातायात सम्बन्धी अघ्ययनों तथा यातायात प्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए समस्त महत्वपूर्ण चौराहों की पुनः डिजाईन करने एवं सौन्दर्यकरण का प्रस्ताव है ।

5.7 (1) द. पार्किंग व्यवस्था

आबूरोड़ में बढ़ते हुए वाहनों के कारण यातायात समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हैं । आवागमन के अतिरिक्त वाहनों की पार्किंग की समस्या दिन प्रतिदिन गम्भीर रूप लेती जा रही है । शहर के पुराने आबादी क्षेत्रों/व्यावसायिक केन्द्रों में यह एक विकट समस्या है । अतः यह प्रस्तावित किया गया है कि इन क्षेत्रों में जहाँ भी खुले स्थल/खाँचा भूमि उपलब्ध है, उन्हें चिन्हित कर पार्किंग के रूप में विकसित किया जावेगा । नये व्यावसायिक केन्द्रों की विस्तृत योजनाएँ तैयार करते समय उनमें पर्याप्त पार्किंग का प्रावधान किया जावेगा । ट्रांसपोर्ट नगर, कृषि उपजमण्डी समिति, फल एवं सब्जी मण्डी, वेयर हाउसिंग, भण्डारण के लिए प्रस्तावित स्थलों में उचित पार्किंग

स्थलों का प्रावधान किया जावेगा । मास्टर प्लान में विभिन्न स्थानों पर पार्किंग स्थलों का प्रावधान किया गया है ।

5.7 (2) बस एवं ट्रक टर्मिनल

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के संचालन हेतु उपयुक्त बस स्टेण्ड नहीं है । वर्तमान में इन बसों का संचालन आबूपर्वत सड़क पर निर्मित बस स्टेण्ड से होता है, इसी तरह निजी बसों के संचालन हेतु बस स्टेण्ड नहीं है । इन समस्याओं के निराकरण हेतु तलहटी योजना परिक्षेत्र में तलहटी पर रोडवेज बस स्टेण्ड एवं डिपो के लिए लगभग 71 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है । निजी बसों के स्टेण्ड हेतु कस्बे के दक्षिणी भाग में अम्बाजी सड़क पर लगभग 5 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है । वर्तमान में ट्रांसपोर्ट कम्पनियाँ कस्बे के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित है। इन ट्रांसपोर्ट कम्पनियों द्वारा ट्रकों में माल लदान का कार्य मुख्य सड़कों के सहारे होने से यातायात व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होता है । इस व्यावसाय को व्यवस्थित स्थान से संचालन हेतु शहरी योजना परिक्षेत्र के पूर्वी भाग में राष्ट्रीय राजमार्ग 14 के विद्यमान बाई पास सड़क पर लगभग 25 एकड़ एवं पालनपुर सड़क के सहारे रीको औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर के समीप यातायात नगर विकसित किये जाने के लिए 40 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है ।

5.7 (3) रेल एवं हवाई सेवा

आबूरोड़ उत्तर-पश्चिमी रेलवे का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, यहाँ भारतीय रेलवे का कार्यालय, लोकोशेड, ब्रोडगेज, गोदाम, रेलवे आवासीय परिसर, रेलवे स्टेडियम एवं चिकित्सालय विद्यमान है । रेलवे स्टेशन पर सुविधाएँ विकसित की जाकर सौन्दर्यकरण किया जाना प्रस्तावित है । आबूरोड़ में हवाई पट्टी की सुविधा पहले से उपलब्ध है । जिसका पूर्ण रूपेण विकास किया जाना प्रस्तावित है । हवाई सेवा में बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर आबूपर्वत पर जाने वाले पर्यटकों को हवाई सुविधा आबूरोड़ में ही उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है । नगर के पश्चिम में मण्डार सड़क पर हवाई पट्टी स्थित है, जिसका विकास किया जाना प्रस्तावित है ।

5.8 परिधि नियन्त्रण पट्टी

मास्टर प्लान में नगरीकरण योग्य क्षेत्र के चारों तरफ अधिसूचित नगरीय क्षेत्र तक परिधि नियंत्रण पट्टी का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित करने से पूर्व नगरीकरण योग्य क्षेत्र के फैलाव की सीमा का निर्धारण अगले 20 वर्षों की आवश्यकताओं, समुचित घनत्व एवं एकीकृत विकास की अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए वृहद् तकनीकी अध्ययन के आधार पर किया गया है।

परिधि नियन्त्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों एवं तर्कसंगत उपयोगो को रोका जाना विकास की दृष्टि से उचित नहीं होगा। परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थिति ग्रामीण बस्तियों का विकास एवं विस्तार आवश्यकतानुसार योजना तैयार कर सक्षम स्तर पर अनुमोदन के उपरान्त अनुमति योग्य रखा गया है। इसी तरह से परिधि नियंत्रण पट्टी में तर्कसंगत भू-उपयोग यथा- ग्रामीण आबादी विस्तार, कृषि आधारित उद्योग, ईट भट्टे, दुग्धशाला, फलोद्यान, पौधशाला, मुर्गीपालन, फार्म हाउस, रिसोर्ट्स, एम्यूजमेन्ट पार्क, वाटर पार्क, इत्यादि अनुज्ञेय होंगे।

5.8 (1) ग्रामीण आबादी क्षेत्र

परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्दर स्थित ग्रामों को सुदृढ़ बनाने हेतु उन्हें नियोजित ढंग से विकसित करना होगा। महत्वपूर्ण ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का विकास एवं विस्तार सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा। इसी क्षेत्र में कृषि, डेयरी, कुक्कुटशाला, फल-सब्जी उगाना, नर्सरी आदि व्यवसायों को प्रोत्साहित किया जाकर विकसित करना अनुज्ञेय होगा। इस व्यवस्था से ग्रामीण अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा लोगों का नगर की ओर पलायन कम होगा।

6

योजना का क्रियान्वयन

6

योजना का क्रियान्वयन

आबूरोड़ की योजना तैयार करने मात्र से ही योजनाबद्ध प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है। वास्तव में यह तो निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है तथा नगर के सुनियोजित विकास के प्रयास का प्रथम चरण मात्र है। योजना को मूर्तरूप करने का सबसे सही उपाय यही है कि इसे पूर्ण दृढ़ता एवं क्षमता के साथ कार्य रूप में परिणित किया जाये।

अधिकांश योजनाओं की असफलता का कारण यह नहीं रहा कि वे अव्यवहारिक थी, अपितु एक प्रमुख कारण यह रहा कि, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने से पूर्व इसे दृढ़ इच्छा शक्ति से लागू करने हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किये गये। योजना क्रियान्वयन उप क्रियाओं का एक स्वरूप हैं जो, योजना को कार्य रूप में रूपान्तरित करता है तथा उसे मात्र विचार करने की बजाय निष्पादित करता है। यह प्रक्रिया सार्वजनिक अभिकरणों और निजी संस्थाओं के उन सभी कार्यों एवं क्रियाओं को अपने अंदर समाविष्ट कर लेती हैं, जिनकी आवश्यकता अनुमोदित योजना में उल्लेखित संबंधित परिणामों को निश्चित स्वरूप प्रदान करने के लिये होती है।

इस दृष्टि से निर्णायक और विकास दोनों ही प्रकार की क्रियाओं की आवश्यकता होती है। समुचित कानूनी प्रावधानों, प्रशासनिक संगठन, तकनीकी मार्गदर्शक और वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ नागरिकों की सक्रिय साझेदारी और सहयोग पर ही योजना की सफलता या असफलता निर्भर करती है। अतः हम सभी का यह परम दायित्व है कि, आबूरोड़ नगर को अधिक आकर्षक बनाने की दिशा में परस्पर सहयोग एवं लगन की भावना के साथ कार्य करे।

6.1 वर्तमान आधार :

वर्तमान में आबूरोड़ नगरपालिका का गठन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। यह अधिनियम स्थानीय निकायों को उतने समुचित अधिकार प्रदान नहीं करता है, जिससे कि संपूर्ण नगरीय क्षेत्र में विकास कार्य को प्रभावी तरीके से नियमित किया जा सके। नगरपालिका की विकास एवं नियमन गतिविधियां नगरपालिका सीमा तक ही सीमित हैं। आबूरोड़ में कई सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय स्थित है, जो अपने-अपने सीमा क्षेत्र में अपने नियमों, विनियमों एवं मानकों के अनुरूप विकास कार्य करते हैं। जिन पर नगरपालिका का कोई नियंत्रण नहीं है। अतः मास्टर प्लान के प्रस्तावों को सुचारु रूप से लागू करने के लिये सभी विभागों एवं संस्थानों में पारस्परिक सहयोग एवं सामन्जस्य की आवश्यकता है ताकि इस योजना के समस्त क्षेत्रों में सुव्यवस्थित विकास किया जा

सके। इसके लिये नगरपालिका एवं नगर नियोजन विभाग को अधिकतम प्रशासनिक एवं कानूनी अधिकार दिये जाने जरूरी हैं।

6.2 प्रस्तावित आधार :

आबूरोड़ शहर की प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन का दायित्व नगर पालिका, आबूरोड़/नवगठित नगर सुधार न्यास का रहेगा। योजना लागू होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना की एक प्रति सम्बन्धित निकाय को भेजी जायेगी। इस प्रकार स्थानीय निकाय उक्त अनुमोदित योजना की प्रति प्राप्त होने के पश्चात् कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगें कि आबूरोड़ के नगरीय क्षेत्र में विकास कार्य उक्त अनुमोदित योजना के अनुसार ही किये जावेगें। इस सार्वजनिक सूचना की प्रतिलिपि सम्बन्धित निकाय द्वारा राज्य एवं केन्द्र सरकार के समस्त विभागीय कार्यालयों को सूचनार्थ भेजी जावेगी। अनुमोदित योजना (मास्टर प्लान) की प्रतियाँ शहर के प्रमुख स्थलों यथा सूचना केन्द्र, जिला कलक्टर कार्यालय एवं नगर पालिका बोर्ड में आम जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। आम जनता उक्त मास्टर प्लान की प्रति मय मानचित्रों के कार्यालय नगर पालिका, आबूरोड़ / नवगठित नगर सुधार न्यास से निर्धारित शुल्क पर क्रय कर सकेगी।

नगर पालिका, आबूरोड़ / नवगठित नगर सुधार न्यास मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप इसके सफल क्रियान्वयन हेतु नगर नियोजन विभाग के सहयोग से विस्तृत प्लान तैयार करेगी। जलापूर्ति एवं जल-मल निकास की योजना जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा तैयार की जायेगी तथा शहर यातायात प्रबन्ध व सड़क विकास योजना नगर नियोजन विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के परामर्श से तैयार की जायेगी। नगर पालिका, आबूरोड़ / नवगठित नगर सुधार न्यास मास्टर प्लान के अनुसार नगर नियोजन विभाग से परामर्श कर परियोजनाएँ तैयार कर उनकी क्रियान्वयन की कार्यवाही करेगें।

योजना क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

6.3 जन सहभागिता एवं जन सहयोग :

नगर का विकास अंततः लोगों की आशाओं एवं प्रेरणाओं पर निर्भर करता है, मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये वहाँ की जनता का पूर्ण सक्रिय सहयोग आवश्यक है। नगर की जनता का मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए।

6.4 भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति :

आबूरोड़ के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोगों का निर्धारण सरकारी भूमि की उपलब्धता, खाली एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को दृष्टिगत रखते किया गया है ।

मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गई स्वीकृतियां/अनुमोदन को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार की गई भू-उपयोग योजना -2025 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है । सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी की गई किसी स्वीकृति यथा 90 बी के आदेश, आंवटन, भूमि रूपान्तरण व नियमन भू-उपयोग, अनुमोदित योजना, भवन निर्माण स्वीकृति आदि का समायोजन सहवन से नहीं हो पाया हो तो उन्हें समायोजित माना जायेगा ।

मानचित्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र, जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन प्रचलित पद्धति से करने का प्रयास किया गया है तथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया हो तो उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही मान्य होगी। इन नदी नाले जलाशयों इत्यादि में किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण /नियमन/रूपान्तरण नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे सूख गये हो । क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी ।

प्रस्तावित जन सुविधाओं यथा – शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, खुले स्थल एवं जन उपयोगी सुविधाओं के विकास बाबत भूमि अवाप्त की जाये, जिससे नगर के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके ।

6.5 उपसंहार :

मास्टर प्लान भावी विकास की तस्वीर मात्र ही है, जिसकी सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है, जबकि इसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिणित किया जाये। इस योजना में आगामी वर्षों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ठोस कार्यक्रम भी सम्मिलित होते हैं। आबूरोड़ का मास्टर प्लान तैयार करते समय एक विवेक सम्मत एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है, तथा सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। नगर में नयी सुविधाएँ विकसित करके, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि करके और आबूरोड़ को आवास एवं पर्यटन की दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही इस योजना को तैयार किया गया है।

परिशिष्ट

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण

अध्याय – 2

मास्टर प्लान

3. राज्य सरकार को मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्ति—

1. राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जायेगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।

2. मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार एक सलाहकार परिषद का गठन कर सकेगी जिसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार उचित समझे।

4. मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु

(क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जायेगे जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाय तथा वह रीति उपदर्शित की जायेगी जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है, और

(ख) उस ढाँचे के जिसमें विभिन्न जोनों की सुधार स्कीमस् तैयार की जाये, आधारभूत पैटर्न के रूप में काम आयेगा।

5. अनुसरण की जाने की प्रक्रिया

1. मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी शासकीय रूप से कोई मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रकाशित करके, जिसमें, प्रत्येक व्यक्ति से नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के सम्बन्ध में आक्षेप तथा सुझाव आमंत्रित किये जायेगे, प्रकाशित करेगा।
2. ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि स्थित है, मास्टर प्लान के सम्बन्ध में अभ्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।
3. ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अभ्यावेदनों पर जो प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात् ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अंतिम रूप में मास्टर प्लान तैयार करेगा।
4. इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अन्तर्वस्तु के संबंध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार करने से संबंध किसी अन्य विषय के संदर्भ में उपलब्ध किये जा सकेंगे।

6. मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना

1. प्रत्येक मास्टर प्लान तैयार किये जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमादनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
2. राज्य सरकार मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी।

3. राज्य सरकार या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए उसे अस्वीकार कर सकेगी।

7. मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीख

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहाँ मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आवेगा।

राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण
**THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST (GENERAL)
RULES, 1962**

[Notification No.F.4(32)LSG/A/59, dated 2.4.1962 published in the Rajasthan Gazette, Part IV-C, Extraordinary dated 8.6.1962, Page 118].

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), the state Government hereby makes the following Rules, namely:-

RULES

1. Short title and commencement:

- (1) These rules may be called "THE Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules, 1962".
- (2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazette.

2. Definitions – In these rules, unless the subject or context otherwise requires:

- (1) "**Act**" means, The Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959)
- (2) "**Trust**" means a Trust as constituted under the Act.
- (3) "**Section**" means a Section of the Act.
- (4) Words and expression used but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Manner of Publication of draft Master Plan and the contents thereof under section 5(i).

1. ¹[The draft Master plan prepared by the officer or, the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act,

1. Sub. by clause 2 of Notification No. F. 3(123) TP/36, Date 24-02-1970 vide C.S.R. 96 pub. In Raj. Gaz. Extra-order; Part IV-c, Dated 24-02-1970 at page 329-331 1959, shall be published by him by making a copy thereof available for inspection at the office of the trust concerned and publishing a notice in the form "A" in the official Gazette and it at least two popular daily newspapers having circulation in the area inviting suggestions and objections from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of the publication of the said notice. ²[If the officer or authority appointed under section 3 of the said Act is satisfied that response to the draft Master Plan has been inadequate, the period may be extended further for a maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objection/suggestions with respect to the draft of the Master Plan.]

- (2) The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by officer or the authority to each of the Local Body operating in the area included in the Master Plan.\

- (3) The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the following maps, plans and documents, namely:

- (a) Town map showing General Layout of the roads and streets in the town.
- (b) Base map showing the generalized existing land use pattern, such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses etc.
- (c) Draft Master Plan showing broadly the proposed Land use pattern in the Urban Areas such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses etc.

- 1. Subs. By Am. Noti. Nos. 2 and 4.
- 2. Added by Am. Noti. No. 4
- (d) Written analysis and written statement to support the proposals.
- (e) Any other maps, plans or matter which the officer or the authority deem fit or as the State Government may direct the officer or the authority in this regard.

4. Approval of Master Plan by the State Government under section 6 :

- (1) After considering the Objections/Suggestion and representation which may be received by the officer or the Authority appointed under Section 3 to prepare the Master plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council if constituted under section 3(2) of the Act finalise the Master Plan and submit the same ²[if constituted] to the state Government for approval.
- (2) When the Master Plan has been approved by the State Government it shall publish in the official Gazette, a notice in Form 'B' stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust/municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day".

- 1. Substituted by clause 3 of Notification No. F.3(123)TP/36, dated 24-2-1970 vide G.S.R. 96 pub. In Raj. Gaz. Exty., Pt. IV-C dated 24-2-1970 at page 329-331
- 2. Substituted by Am. Noti. No. 5.

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग,

क्रमांक प. 10 (57)नविवि/3/95 जयपुर, दिनांक 24 जनवरी, 2003

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की पूर्व प्रसारित अधिसूचना क्रमांक प. 10(57)/नविआ/95, दिनांक 14-6-1996 को निरस्त करते हुए अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर को आबूरोड़ के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान वर्ष 2025 तक के लिए बनाने हेतु नियुक्त करती है :-

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	NAME OF VILLAGE
1.	आबूरोड़	ABU ROAD
2.	सांतपुर	SANTPUR
3.	खडात	KHADAT
4.	मानपुर	MANPUR
5.	क्यारिया	KYARIYA
6.	रेडवा कला	REDWA KALA
7.	केसरगंज	KESARGANJ
8.	चन्द्रावती	CHANDRAWATI
9.	कुई	KUI
10.	तरतौली	TARTOLI
11.	आकरा भट्टा	AKARA BHATTA
12.	गणका	GANKA
13.	दूना काकर	DUNA KAKAR
14.	सांगना	SANGANA
15.	सियावा	SIYAWA
16.	वासड़ा	VASRA
17.	मावल	MAWAL
18.	दानवाव	DANWAV
19.	आमथला	AMTHALA

20.	कारोली	KAROLI
21.	आम्बा	AMBA
22.	उमरनी	UMARNI
23.	पाण्डूरी	PANDURI
24.	मोस्थला	MORTHALA
25.	खारा	KHARA

राज्यपाल की आज्ञा से

ह०

(एस० ए० फारुकी)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराने का श्रम करावें ।
2. शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक टीपीआर 1121/एमपी/आबूरोड़, दिनांक 4-9-2002 के क्रम में सूचनार्थ ।
4. जिला कलक्टर, सिरोही ।
5. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, आबूरोड़ ।
6. रक्षित पत्रावली ।

(दिलीप सिंह बारेठ)

उप नगर नियोजक

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग,

क्रमांक प. 10 (57)नविवि/3/95

जयपुर, दिनांक 17 अगस्त,2009

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक प. 10(57)/नविआ/95, दिनांक 24-1-2003 में संशोधन करते हुए अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर को आबूरोड़ के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नांकित दो राजस्व ग्रामों को नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित करती है :-

क्रम संख्या	सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम	NAME OF VILLAGE
1.	ओर	ORE
2.	डेरना	DERNA

राज्यपाल की आज्ञा से

ह0

(एस. ए. फारूकी)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1.अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर
- 2.प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- 3.मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक टीपीआर: 1121/एमपी/आबूरोड़, दिनांक 4-9-2002 के क्रम में सूचनार्थ ।
- 4.जिला कलक्टर, सिरोही ।
- 5.अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, आबूरोड़ ।
- 6.रक्षित पत्रावली ।

(दिलीप सिंह बारेठ)

उप नगर नियोजक

राजस्थान सरकार
नगर नियोजक विभाग
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- टीपीआर 1116/एमपी/आबू रोड/

दिनांक:-04.12.2009

अधिसूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सूधार अधिनियम- 1959 की धारा 5 की उपधारा (1) एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम-3 के अर्न्तगत आबू रोड के नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान- 2025 का प्रारूप तैयार कर जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रारूप मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र के अर्न्तगत निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित है:-

क्र. स.	राजस्व ग्राम का नाम		क्र. स.	राजस्व ग्राम का नाम	
1.	आबू रोड	ABU ROAD	2.	सांतपुर	SANTPUR
3.	खडात	KHADAT	4.	मानपुर	MANPUR
5.	क्यारिया	KYARIYA	6.	रेडवा कला	REDWA KALA
7.	केसरगंज	KESARGANJ	8.	चन्द्रावती	CHANDRAWATI
9.	कुई	KUI	10.	तरतोली	TARTOLI
11.	आकरा भट्टा	AKARA BHATTA	12.	गणका	GANKA
13.	दूना काकर	DUNA KAKAR	14.	सांगना	SANGANA
15.	सियावा	SIYAWA	16.	वासड़ा	VASRA
17.	मावल	MAWAL	18.	दानवाव	DANWAV
19.	आमथला	AMTHALA	20.	कारोली	KAROLI
21.	आम्बा	AMBA	22.	उमरनी	UMARNI
23.	पाण्डुरी	PANDURI	24.	मोरथला	MORTHALA
25.	खारा	KHARA	26.	ओर	ORE
27.	डेरना	DERNA			

आबू रोड मास्टर प्लान के सम्बन्ध में राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की समयावधि में कोई भी व्यक्ति मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को अपनी आपत्ति एवं सुझाव प्रेषित कर सकता है। आपत्ति एवं सुझाव नगर पालिका आबू रोड अथवा वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन जोधपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। मास्टर प्लान के प्रारूप को उपरोक्त समयावधि में किसी भी दिन कार्यालय समय में नगर पालिका भवन, आबू रोड में देखा जा सकता है। मास्टर प्लान के इस प्रारूप से सम्बन्धित पुस्तिका एवं मानचित्र कार्यालय नगर पालिका आबू रोड से क्रय किये जा सकते हैं।

(एन.के.खरे.)

अति० मुख्य नगर
नियोजक (मास्टर प्लान)
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.10(57)नविवि/3/95

जयपुर, दिनांक : 01.06.2012

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24.03.2003 एवं 17.08.2009 के द्वारा यथा अधिसूचित "आबू रोड़ (जिला सिरोही) के नगरीय क्षेत्र" के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2031 का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त मास्टर प्लान, 2031 की प्रति का अवलोकन नगर पालिका, आबू रोड़ के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से


ह-

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी.डी. भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), राजस्थान, जयपुर।
5. वारेण्ट नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
6. जिला कलेक्टर, सिरोही।
7. सचिव, नगर विकास प्रन्यास, आबू रोड़, जिला सिरोही।
8. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, आबू रोड़, जिला सिरोही।
9. रक्षित पत्रावली।


(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक